there arise doubts that the conversions were not of free conscience but were made through compulsion or enticement. The hon. member himself read from Daily newspaper which also suggests the same thing. In recent years, particularly from the new census figures, we do see that large number of people are changing their faith. By this Bill I merely want to give the person a full chance to think over the whole thing, because mass conversions are now taking place. If it is a question of one or two individuals, I do not mind. But when mass conversions take place, it definitely leaves a doubt whether it is really the result of true change of faith. There should be some method in our social life and in our religious behaviour. Change of religion is not an ordinary thing. You embrace a different religion out of your own faith and conviction, not out of compulsion or enticement. Therefore, I have merely suggested registration, giving the person concerned sufficient time to think it over. I have not at all tried to curtail the right of a particular person to change his religion. These arguments themselves show how sensitive this matter is. Even a method to organise the whole thing. upsets the sentimentality of certain minority people. These figures of conversion would be useful for historians and research people and for national statistics. We give difinite benefits to minorities. One will just say that I was converted on such and such date, so, please give me the benefit. Therefore, in spite of all the arguments put forward, I do not see any reason why they should oppose the introduction of this Bill.

MR. DEPUTY-SPEAKER: The question is:

"That leave be granted to introduce a Bill to provide for compulsory registration of religious conversions in India."

Those in favour say 'Ayes'.

SOME HON. MEMBERS: 'Ayes.'

MR. DEPUTY-SPEAKER: Those in favour say 'Noes'.

SOME HON. MEMBERS: Noes.

MR. DEPUTY SPEAKER: I think, Ayes have it.

SHRI EDUARDO FALEIRO: Noes have it.

MR. DEPUTY SPEAKER: Let the lobbies be cleared.

The lobbies have been cleared. Dr. Vasant Kumar Pandit has sought leave to introduce a Bill to provide for compulsory registration of religious conversions in India. This has been opposed by Shri G. M. Banatwalla and Shri Eduardo faleiro. I will now put it to the vote.

THE DEPUTY MINISTER IN THE MINISTRY OF RAILWAYS AND EDUCATION AND SOCIAL WELFARE AND IN THE DEPARTMENT OF PARLIAMENTARY AFFAIRS (SHRI MALLIKARJUN): Sir, we do not want to violate the normal tradition or convention established here. So, from this side we will not press for a division.

MR. DEPUTY-SPEAKER: The question is:

"That leave be granted to introduce a Bill to provide for compulsory registration of religious conversions in India."

The motion was adopted.

DR. VASANT KUMAR PANDIT: I introduce the Bill.

15.39 hrs.

SALARY, ALLOWANCES AND PENSION OF MEMBERS OF PARLIAMENT (AMENDMENT) BILL (AMENDMENT OF SECTIONS 3, 6B ETC.,)—*Contd.*

MR. DEPUTY SPEAKER: The House will now take up further consideration of the motion moved by

[Mr. Deputy Speaker]

Shri Mool Chand Daga on 18th September 1981 to further amend the Salary, Allowances and Pension of Members of Parliament Act, 1954. Shri D. P. Yadav will continue his speech.

श्री डी०पी० यादव (मुंगेर) : इस बिल पर आज अपना भाषण जारी रखने के लिए आपने जो मुझे अवसर दिया है उसके लिए मैं आपको धन्यवाद देता हूं । न केवल संसद् सदस्यों या विधान सभाओं के सदस्यों के सामने परन्तु राष्ट्र के प्रत्येक नागरिक के सामने आज यह सवाल पैदा हो गया है कि चुने हुए प्रतिनिधियों का काम क्या है ? मैं समझता हूं कि उनके काम को डिफाइन करने की आवश्यकता है, उनकी महत्ता को समझने की आवश्यकता है । यदा-कदा अखबारों के जरिये और कभी कभी पब्लिक स्पीचिज के जरिये यह कह दिया जाता है कि संसद सदस्य या विधान सभा सदस्य अपनी सुविधायें और अपने प्रिवलेजिज बढ़ाने के लिए आतुर हैं । क्या सुविधा उनको मिलती है यह आप उन से पूछें जो संसद् सदस्य हैं या विधान सभा सदस्य हैं या उनकी क्या रिस्पांसिबिलिटीज हैं, क्या लायाबिलिटीज हैं । यों हंसी मजाक में कुछ कह देना आसान बात है । लेकिन उन लोगों से जो अखबारों के माध्यम से प्रचार करते हैं कि संसद सदस्य लोभ में आ गए हैं अपनी तनख्वाह बढ़ाने के लिए, मैं एक प्रश्न पूछना चाहता हूं । संसद्-सदस्य के चुनाव पर राष्ट्र का कितना खर्चा होता है ? अगर सारे देश में एक बार लोक सभा का चुनाव कराया जाए, तो 100 करोड़ रुपये से कम खर्च नहीं होता है, अर्थात् एक संसद्-सदस्य को चुनने में सरकारी खजाने से 20 लाख रुपया खर्च होता है, और जो कैंडीडेट्स चुनाव लड़ते हैं, जो जीता और जो हारा, उन सभी कैंडीडेट्स और पार्टी का खर्चा 15 लाख रुपये से कम नहीं होता है । इस का अर्थ यह है कि 35 लाख रुपये में पांच साल के लिए एक एम पी तैयार होता है ।

मगर यह कहीं डिफाइन नहीं हो रहा है कि 35 लाख रुपये के इन्वेस्टमेंट से, इतना हंगामा करने के बाद, जो एम पी बनता है, उसकी उपयोगिता क्या है । देश के सामने सब से बड़ा अहम सवाल यह है कि एम पी की उपयोगिता और युटिलिटी को डिफाइन किया जाए । आज हम उससे कतरा रहे हैं । ब्यूरोक्रेसी, मंत्रियों और मंत्रि-मंडल के सदस्यों को आगे पीछे कर के इतना फंसा कर रखती है कि वे समझते हैं कि सब हरा भरा है । लेकिन जिस दिन मंत्रि-मंडल बर्खास्त होता है या गिरता है, उसके बाद उन्हें मालूम होता है कि सब हरा-भरा नहीं, उजड़ा है ।

खासकर जो लोग मंत्री होते हैं, जब वे लोक सभा या विधान सभा के चुनाव में जाते हैं, तो पहले पहले उनपर जनता की बौछार होती है । कोई कहता है कि कहिए मंत्री जी, आप बड़ी गाड़ी पर चलते थे, आप कहां थे । किधर गए आप । मंत्रियों को ये सब ताने सुनने पड़ते हैं । हम लोग जो मंत्री नहीं हैं, हमसे भी कहा जाता है कि कहिए एम पी साहब, पांच साल कहां थे, क्या कर रहे थे, हमें कुछ पूछने नहीं आए, आप चुनाव के समय ही आए थे, अब फिर पांच साल के बाद आए हैं ।

हमारे मित्र, श्री अरविन्द नेताम, बता रहे थे कि उनका चुनाव क्षेत्र, बस्तर, केरल प्रदेश से ज्यादा लम्बा-

चौड़ा क्षेत्र है । अब आप बताइए कि वह बेचारे चार सौ, साढ़े चार सौ मील लम्बे और साढ़े पांच सौ लम्बे क्षेत्र में घूमने के लिए 1500 रुपये तनख्वाह लेकर कैसे गाड़ी करेंगे और कौन उन्हें गाड़ी देगा । रेस्पांसिविलिटी तो हमारी है । जिन लोगों ने हमें वोट दिया है, वे कलेक्टर, एस पी या कमिश्नर के पास नहीं जाते हैं । उनका सारा गुस्सा एम एल ए पर और एम०पी० पर उतारा जाता है । लेकिन वे बेगुनाह हैं । वे बेचारे गरीब कहां जाएंगे ? वे एम एल ए और एम पी के दरवाजे पर ही जाएंगे । यह अंतर है ब्यूरोक्रेसी और चुने हुए प्रतिनिधियों में ।

आज सब से एसेंशल सवाल हो गया है कि डिफाइन किया जाए कि 35 लाख रुपये की लागत पूंजी से तैयार किए हुए संसद्-सदस्य और 10, 12 लाख रुपये की लागत-पूंजी से तैयार किए हुए विधान सभा के सदस्य का जनता के प्रति और अपने क्षेत्र के प्रति क्या उत्तरदायित्व है और अगर कोई उत्तर-दायित्व है, तो उसको निभाने के लिए उसके इनस्ट्रूमेंट्स क्या हैं । सरकार ने एक बी डी ओ नियुक्त किया, तो उसको गाड़ी, आफिस और चपरासी दिया, सब कुछ दिया । लेकिन एम पी बनने के बाद उसका एक काम है कि एक दिन प्रधान मंत्री का चुनाव करा दीजिए और एम एल ए का एक काम है कि मुख्य मंत्री का चुनाव करा दीजिए । फिर वे लोग भजन करें, सरकारी दफ्तर की तरफ न देखें, यह न पूछें कि कहां क्या हो रहा है, सब कुछ ठीक है, उन्हें कुछ नहीं करना है । जो ह्विप होगा, उसके अनुसार वे बटन दबायेंगे । कुछ उसके उलट दबायेंगे । ये बटन दबाने का सिस्टम समाप्त होना चाहिए । सब से ज्यादा आवश्यकता है पीपल्स-इन्वाल्वमेंट होना है । उपाध्यक्ष जी, भारत के संविधान में यह प्रावधान होना चाहिए और श्री मल्लिकार्जुन साहब तथा गृह मंत्री ज्ञानी जी, यहां पर मौजूद हैं, मैं उनसे भी निवेदन करूंगा कि हम गरीब संसद सदस्यों पर ज्यादा ध्यान दीजिए । ज्ञानी जी, बड़ी असुरक्षा की भावना हो गई है, बड़ा परेशान रहते हैं । हम लोगों से उधर के लोग ज्यादा परेशान हैं । इसलिए ज्ञानी जी को नोट करना चाहिए कि इनके एम०पी० सुरक्षित हैं या नहीं हैं ।

उपाध्यक्ष जी, यह हंसी मजाक का वक्त नहीं है । योजना मंत्री जी, श्री चव्हाण साहब, यहां बैठे हुए हैं और यदाकदा उनके विभाग द्वारा बनाया हुआ छठी पंचवर्षीय योजना का यह डाक्यूमेंट है ; इसमें कहा गया है--"डाक्यूमेंट आन सोशियल ट्रांसफार्मेशन"-- क्या बढ़िया शब्द है--

"Apart from decentralisation of administrative machinery and provision of adequate mechanism at local level, it will be necessary to ensure that at every stage of planning and implementation, there is full participation and involvement of people."

"Allocation of public fund for the schemes in this sector, whether by the Central or State Government or on the basis of certain patterns of funding, designed to achieve the target of the Plan.

The selection of specific tasks, however, is governed by local conditions and in assigning priorities it might be necessary ...

राम दुलारी जी जरा ध्यान दीजिए ।

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF LABOUR (SHRIMATI RAM DULARI SINHA): I am very much listening to what you are saying. . .

SHRI D. P. YADAV: "The selection of specific tasks, however, is governed by local conditions and in assigning priorities, it might be necessary to involve both the administration at the local level as well as the representatives of people, particularly of the beneficiary group."

यह प्लान डाक्यूमेंट में है---इन्वाल्वमेंट आफ पीपल्स रिप्रेजेंटिव । उपाध्यक्ष जी, 14 लाख की आबादी है और 8 लाख वोटर्स । हम लोग 14 लाख को रिप्रेजेंट करते हैं । अब 14 लाख की भावनाओं को दिल्ली तक लाना, मैं तो चूंकि बिहार का हूं, हम कैसे लायेंगे और कैसे बोझा ढोयेंगे, यह देश के सामने बड़ा भारी प्रश्न है । यह डाक्यूमेंट मैंने इसलिए पढ़ना शुरू किया है कि

For, involvement of people's representatives,

एक नया चैप्टर जोड़ा गया है भारत की योजना में और स्पैसिफिकली कहा गया है कि पिछले 33 वर्षों में हमारी जो खामियां रही हैं, उन खामियों की पूर्ति के लिए जिस प्रकार संविधान में डायरेक्टिव प्रिन्सिपल्स हैं और जिस प्रकार से योजना में डायरेक्टिव प्रिन्सिपल दिए गए हैं,

Planning, implementation, monitoring and evaluation.

और आगे कहा गया है---

"The problem in all these three areas, planning, implementation and evaluation differ from sector to sector."

वहां डिफेंस होगा सैक्टर-टू-सैक्टर । उसको स्पष्ट कौन करेगा ? उसके बाद कहा गया है कि :

"Persons responsible for the implementation of the plan should be made to feel a sense of involvement in fulfilling the plan targets."

हमारा इन्वाल्वमेंट क्या है, ठी योजना के प्रारूप में, जो कि दो साल पहले बना ...

योजना मंत्री (श्री एस० बी० चव्हाण): एक साल पहले बना ।

श्री डी० पी० यादव : लिखा हुआ है---1980-85 ।

श्री एस० बी० चव्हाण : लेकिन एक्चूयली फाइनालाइज हुआ है 1981 में ।

श्री डी० पी० यादव : एक साल हो गया है, लेकिन हमारे जैसे गरीब एम०पी० को पता नहीं है कि क्या हो रहा है ।

श्रीमती रामदुलारी सिन्हा : सभी एम० पी० बराबर हैं ।

श्री डी० पी० यादव : हम को सब बात का पता रहना चाहिये, लेकिन पता रखने के लिये जब तक हम वहां जायेंगे नहीं, तो क्या पता चलेगा । उपाध्यक्ष जी, जिस क्षेत्र से मैं आता हूं, कभी-कभी ऐसा होता है कि ट्रेन से उतरते हैं और मान लीजिए उसी ट्रेन से बी० डी० ओ० या दरोगा भी पटना से चढ़े हैं, तो, स्टेशन पर उतरने के बाद संसद् सदस्य को, रिक्शा के लिये चारों तरफ देखता रहता है लेकिन उसे कोई रिक्शा नहीं मिलती, दूसरी तरफ बी० डी० ओ० के दो चपरासी गाड़ी ले कर आते हैं ।, उस को सलाम मारते हैं और वह मजे में गाड़ी में बैठ कर चले जाते हैं । आप उन लोगों के लिए जो जन-प्रतिनिधि हैं, उन के चलने के लिए सवारी का इन्तजाम नहीं करते हैं और जब संसद् सदस्य यहां अपनी सुविधाओं के लिए

चिन्ता करता है तो उस का हंसी और मजाक उड़ाया जाता है। मैं उन लोगों से एक सवाल पूछना चाहता हूं जो अखबारों में निकाला करते हैं कि संसद् सदस्य को तनख्वाह बढ़ जाएगी तो बड़ा भारी अन्याय हो जाएगा, जरा मेरे घर आ कर देखें कि मेरे घर की क्या स्थिति है। 35 या 40 आदमी आ जाते हैं, कोई दरख्वास्त ले कर आता है कि उस के इलाज की व्यवस्था कीजिए, कोई दूसरे किसी काम को ले कर आता है, अब या तो उन के रहने की व्यवस्था कीजिए या गाड़ी से उन को अस्पताल पहुंचाइये। हम इस बात को बड़ी अच्छी तरह से जानते हैं कि पांच साल के बाद जब उस के पास जायेंगे तो वह कहेगा कि हम ने ऐसा एम० पी० चुना जिस से अस्पताल जाने के लिए कहा तो उस ने अस्पताल नहीं पहुंचाया। उस की सोशल-आबलीगेशन हम पर है, हम उस से अलग नहीं हो सकते हैं। इस सोशल-आबलीगेशन को कैसे निभायें? वे लोग जो काफी पीने में ज्यादा विश्वास करते हैं, बड़े-बड़े होटलों में गपशप करने में विश्वास करते हैं, अपने ड्राइंग रूम को सजाने में विश्वास करते हैं, वे क्या जानते हैं कि दूर-दराज में रहने वाले गरीब किसान, मजदूर की क्या आवश्यकतायें हैं। वे अफसर को नहीं जानते, सिवाय पार्लियामेंट के मेम्बर या एम० एल० ओ० को जानते हैं। व उस से लड़ते हैं, झगड़ते हैं, अपने दुख और तकलीफ को कहते हैं और हम जो उस के दुख और तकलीफ को आप तक पहुंचाने वाले हैं हमारे पास पोस्टल स्टाम्पस भी नहीं हैं। अगर हम 30 चिट्ठी रोज भी लिखायें और एक चिट्ठी की कोस्ट एक रुपया रखिये तो 900 रुपया महीना पोस्टेज पर लग जाता है। यदि हम कहते हैं कि हमें पोस्टल सुविधा दीजिए तो कहा जाता है कि मिस यूज होगा। 35 लाख रुपया लोक सभा का सदस्य बनाने पर खर्च कर दिया, वह मिसयूज नहीं होगा, पोस्टल सुविधा देंगे तो वह मिसयूज होगा। एक तरह से पार्लियामेंटरी डेमोक्रेसी का मजाक उड़ाया जा रहा है और इस के लिये हमारी ब्यूरोक्रेसी तथा, क्षमा कीजिए, अखबार वाले भी जिम्मेदार हैं।

आप देखिए, मेरी कांस्टीचूएन्सी 14 लाख की है, कहीं बाढ़ है, कहीं सूखाड़ है, कहीं एपिडेमिक हो गया, कहीं अस्पताल काम नहीं कर रहा है, कहीं ला-एंड-आर्डर की प्राबलम है, कहीं कोई दूसरी समस्या है, वहां के लोग समझते हैं कि काश हमारे संसद् सदस्य या विधान सभा सदस्य आते तो हमारी आंखों के आंसू पोछ सकते थे। अफसर जायेगा तो बढ़िया कमीज पहन कर जाएगा, हाथ में छड़ी ले कर जाएगा, उन के सामने डर से कोई भी कुछ कहने नहीं आयेगा। लेकिन संसद् सदस्य चला जाए तो उस की खटिया पर बैठेगा, उस का पानी पियेगा, सत्तू-रोटी जो भी मिलती है उसे खायेगा और अपने दुख-दर्द की बात कहेगा, लेकिन हम उस के दुख-दर्द की कहानी को लोक सभा और संविधान सभा तक नहीं पहुंचा सकते हैं, इस लिए कि हमारे पास साधन नहीं है। साधनों की आवश्यकता को कैसे पूरा किया जाए, इस पर हम को गम्भीरता से विचार करना चाहिए।

MR. DEPUTY SPEAKER: Please conclude now.

SHRI MOOL CHAND DAGA (Pali): Let him speak.

MR. DEPUTy SPEAKER: There are other hon. Members also who want to speak.

SHRI MOOL CHAND DAGA: The time may be extended. Other hon. members who are left may be allowed to speak next time.

श्री डी० पी० यादव : उपाध्यक्ष जी, इसी डाक्यूमेंट में क्या कहते हैं--लेकिन हमारे

[श्री डी० पी० यादव]

फ़ाइनेन्ज़ को सुनिए । डायरेक्टिव प्रिंसिपल्ज एण्ड प्लेनिंग में कहा गया है--

"It is proposed to formulate a comprehensive block level plan and identify programmes for the development of the area which aim at making full use of local endowments, local resources, block resources and earth resources."

अर्थ रिसोर्सेज का अगर पता नहीं रहेगा, एन्डाऊमेंट सर्वे नहीं करेंगे और वाटर पोटेंशियल एरियाज को हम नहीं जानेंगे, तब तक प्रोसेस आफ़ प्लानिंग में पार्टनर कैसे होंगे ।

और क्या यह कहता है ।

The object of this Clause is to integrate various programmes for optimum utilisation of total endowments with planned objectives and local needs.

उपाध्यक्ष महोदय, 12 कम्युनिटी ब्लाक्स हमारे क्षेत्र में पड़ते हैं और हर कम्युनिटी ब्लाक में एक-एक लाख एकड़ जमीन पड़ती है । इस का मतलब यह होगा कि 12 लाख एकड़ जमीन का एनडाऊमेंट सर्वे कराना है एक संसद सदस्य को, विधान सभा सदस्यों को । अगर उन को इस में पार्टनर बनाना है, तो सब से आवश्यक बात यह है कि जितनी फैसेलिटीज एक जिला मजिस्ट्रेट को रहती हैं, उससे ज्यादा फैसेलिटीज आप को मिलनी चाहिए, एक संसद् सदस्य को मिलनी चाहिए ।

15.56 hrs.

[SHRI HARINATH MISRA *in the Chair*

सभापति जी, एक बात और मैं कहूं । आप को प्रोटोकोल दिया गया है और आर्डर आफ़ प्रीसीडेंस में क्या है ।

Order of precedence.

Above the Secretary of the Union Government and above the Chief Secretary of the State Government.

बड़ी अच्छी बात है । जब कागज पर देखेंगे, तो लगेगा कि चीफ़ सेक्रेटरी भी सलाम करेगा और सेक्रेटरी भी सलाम करेगा । स्वतन्त्रता दिवस पर केवल बैठने के लिए विजय चौक पर एक जगह मिल जाती है और वहीं नजर आता है कि जो प्रोटोकोल है, उसमें एम० पी० ऊपर है और सेक्रेटरी नीचे है । बाकी जगहों पर सेक्रेटरी और मुख्य सचिव हमेशा ऊपर हैं । बाकी दिन मुख्य सचिव ऊपर रहेगा । साल में एक दिन जाड़े में 26 जनवरी को जरूर उन के ऊपर बैठने को जगह मिलती है और वह भी पहुंचे या न पहुंचे, बाकी दिनों में प्रोटोकोल वाली बात नहीं रहती है ।

उस दिन जरूर प्रोटोकोल के अनुसार नाम लिखा मिलेगा ।

श्री **मनोरंजन भक्त** (अन्डमान और निकोबार द्वीप समूह) : वह भी अब नहीं है ।

श्री डी० पी० यादव: सभापति जी, अब आप बता दीजिए कि जब हम को पोस्टल स्टैम्प्स की सुविधा नहीं दी जाएगी, गाड़ी की सुविधा नहीं दी जाएगी, तब हम क्या कर सकते हैं । आप पूछना चाहेंगे कि हम चाहते क्या हैं ? मेरे जैसे एम० पी० को और मैं समझता हूं कि इस से सारे सदस्य सहमत होंगे कि अभी मिनीमम और तत्काल हमारी जरूरत यह है कि एक अंग्रेजी में, एक हिन्दी में हमें फुलटाइम स्टेनो जरूर चाहिए ।

दूसरा यह है कि पोस्टल स्टाम्प्स पर हमारे लिए कोई रेस्ट्रिक्शन्स नहीं रहनी चाहिए और तीसरा यह है कि मूवमेंट के लिए

चाहे दिल्ली हो या हमारा क्षेत्र हो, वहां पर एक ह्वीकिल सरकारी स्तर पर हम को जरूर एवेलएबिल रहनी चाहिए। हम वहां न रहें, तो उसको वापस ले लें अगर एक उप मंत्री के लिए ह्वीकिल है और सर्किट हाऊस में वह रह सकती है स्टेट मिनिस्टर के लिए वह रह सकती है, तो लोक सभा और विधान सभा के सदस्य के लिए वह मिलनी चाहिए, जिस से वह कम से कम अपने क्षेत्र में और अपने क्षेत्र के बाहर जा सके। वह गाड़ी चाहे बिना तिरंगा झण्डा लगे मिले और तिरंगा झण्डा श्री मल्लिकार्जुन जी के लिए हो। हमें बिना तिरंगे झंडे वाली गाड़ी दे दो।

रेल तथा शिक्षा और समाज कल्याण मंत्रालयों तथा संसदीय कार्य विभाग में उप मंत्री (श्री मल्लिकार्जुन) : लगता है कि आप को पुराने दिनों की झण्ड वाली कार की याद है।

श्री डी० पी० यादव : उस का भी अनुभव है।

श्री मनोरंजन भक्त : टाइपराइटर के लिए भी बोल दीजिए।

श्री डी० पी० यादव : टाइपिस्ट-स्टैनो के बारे में कह दिया है। सभापति महोदय, सब से पहली बात है

Functions of a Member of Parliament.

फंक्शन्स को निभाने के लिए,

Power of the Member of Parliament and the facilities for implementation of that power.

ये तीन मुख्य मुद्दे हैं, जिन के बारे में हम लोगों को सोचना चाहिए।

एक बात और कहूंगा।

16.00 hrs.

मानसिक गुलामी इतनी अधिक हो गई है कि उससे छुड़ाने की प्राब्लम है। आप ब्लाक में जाइये, बी० डी० ओ० को बी० डी० ओ० साहब, कलेक्टर को कलेक्टर साहब कहा जाता है। यहां तक ड्राइवर तक को ड्राइवर साहब कहा जाता है। लेकिन आप अपने क्षेत्र में जाइये, मैं बिहार और उत्तर प्रदेश की बात कर रहा हूं, कोई एम० पी० साहब एम० एल० ए० साहब नहीं कहता है उनको साहब कहा जाता है और आपको बैठने के लिए भी जगह नहीं। मानसिक गुलामी की यह स्थिति है कि जो लोग इंस्ट्रूमेंट आफ ट्रांसफोरमेशन हैं उनके साथ इस प्रकार का व्यवहार होता है और जो लोग एकचुअल्ली में इंस्ट्रूमेंट आफ एक्सप्लोइटेशन हैं उनको साहब कहा जाता है। जो इंस्ट्रूमेंट आफ डेवलपमेंट है वह तो पांच साल के लिए एक बार चुन लिया गया और फिर चुना जाए या न चुना जाए। तो हमें यह डिफाइन करना होगा कि हमारा फंक्शन क्या है? हमें यह भी देखना होगा कि हमारी मानसिक गुलामी कैसे दूर हो।

शास्त्री जी यहां पर नहीं हैं। अगर वे रहते तो अच्छा होता। उन्होंने इसका समर्थन नहीं किया है। वे यह कहते हैं कि सब की तनख्वाह बढ़नी चाहिए और सरकारी नौकरों की भी तनख्वाह बढ़नी चाहिए। मैं सरकारी नौकरों की तनख्वाह बढ़ाने के पक्ष में नहीं हूं क्योंकि वे लोग इंस्ट्रूमेंट आफ एलियेनेशन आफ प्लान कोआरडिनेशन हैं। इस पर भी ध्यान देना बहुत जरूरी है।

सभापति जी, मैं डिटेल्स में नहीं जाना चाहता और न किसी पर व्यक्तिगत आक्षेप करना चाहता हूं। सदन के सामने या देश

[श्री डी० पी० यादव]

के सामने बहुत बड़े खर्चे की कोई योजना भी नहीं रखना चाहता। लेकिन जो लोग कहते हैं कि संसद् सदस्यों की बहुत बड़ी तनख्वाह है, मंत्रियो की बहुत बड़ी तनख्वाह हैं, उन को बहुत सुविधाएं मिलती हैं, मैं उनसे कहना चाहता हूं कि वे जा कर के हमारे श्री कार्तिक उरांव की पत्नी से, उनके बच्चों से जा कर के पूछें कि आज उनकी क्या दशा है। उनको यह मालूम नहीं है कि कल को उनको खाना भी मिलेगा, या नहीं मिलेगा, बच्चे दर-दर भिखारी तो नहीं हो जाएंगे। कल तक वे एक मंत्री की पत्नी और बच्चे थे, आने वाले कल में उनके बाल-बच्चों का क्या होगा? इस पर कभी नहीं सोचा गया। आप की ब्योरोक्रेसी का यह हाल है। मैं एक दो उदाहरण देना चाहता हूं। यह इस पक्ष की या उस पक्ष की बात नहीं है। एक बार जयप्रकाश बाबू मुंगेर जाने वाले थे। हमारे कुछ आफिसर्स उनको सरकिट हाउस नहीं देना चाहते थे। लेकिन जैसे ही सरकार बदली, उन्हीं अफसरों ने धर्मयुग से काट-छांट कर उनके चित्र अपने कमरों में लगा लिये। वे अफसर पांच दिन पहले उन्हें सरकिट हाउस नहीं देना चाहते थे पांच दिन बाद वे यह करने लगे। ऐसी बात कोई पब्लिक वर्कर नहीं कर सकता, सरकारी नौकर ही कर सकता है। कहीं सरकार में उसका महत्व कम न हो जाए, इसलिए करता है। जब इन्दिरा गांधी पद से हटीं तो उन्हें भी सरकिट हाउस लेने में तकलीफ हुई। ये लोग आदमी की नहीं कुर्सी की पूजा करते हैं। मैं कहता हूं कि पूजा कुर्सी की नहीं आदमी की होनी चाहिए। यह डिफाइन होना चाहिए कि एम० पी० या एम० एल० ए० की क्या सुविधाएं हों, क्या उनके प्रोटोकोल हों।

सभापति महोदय : आप सरकारी नौकरों के बारे में कह रहे हैं लेकिन सरकार की पालिसी तो मंत्रिगण और मंत्रिमण्डल बनाते हैं, सरकारी अफसर नहीं बनाते हैं।

श्री डी० पी० यादव : सभापति जी आप इस देश के एक वरिष्ठ राजनीतिक कार्यकर्त्ता रहे हैं, आप स्पीकर रहे हैं, आप मंत्री रहे हैं, आप एम० एल० ए० और एम० पी० भी रहे हैं। इतना अनुभव आपको है और आप के बारे में बिहार में लोग कहते हैं --

Here is a man who is crystal-clear like diamond.

और आपके बारे में लोग कहते हैं --

Here is a man who is hard as diamond and who is clear as diamond.

ऐसे लोग भी हैं। आप भी तो सरकार में हैं। इसलिए मंत्रि मण्डल के सभी लोग करप्ट होते हैं, ऐसी बात नहीं है। यह तो मानवीय गुण है, कुछ लोग होंगे, लेकिन ऐसे लोगों पर कण्ट्रोल करने के लिए लोक सभा सदस्य और विधान सभा सदस्यों को इस प्रकार बनाना चाहिए कि वे मंत्रि मण्डल पर भी अटैक कर सकें।

सभापति महोदय : यह बिल कुछ इतना आकर्षित कर रहा है मेम्बरों को कि बोलने वालों की तादाद बहुत ज्यादा है। इसलिए मेरा नम्र निवेदन होगा कि . . .।

श्री डी० पी० यादव : बस मैं दो मिनट में समाप्त कर दूंगा।

श्री मूल चन्द डागा : सभापति महोदय, मेहरबानी करके हर एक को बोलने दीजिए।

सभापति महोदय : मेरे पास लिस्ट बहुत बड़ी है।

श्री मूल चन्द डागा : आप समय बढ़ा दीजिए, मैं प्रार्थना करूंगा ।

सभापति महोदय : मैं सदन के रुख को देख रहा हूं और आपकी प्रार्थना भी सुन रहा हूं । आपकी प्रार्थना और सदन का रुख एक साथ मिलते हैं ।

श्री डी० पी० यादव : सभापति महोदय, एक बात मैं और कहना चाहता हूं । विश्व में सब से कम सेलरी पाने वाला विश्व में सब से कम तन्खाह पाने वाला यहां का संसद सदस्य और विधान सभा सदस्य है और सबसे ज्यादा चोट सहने वाला, आम जनता और प्रेस की चोट सहने वाला; प्रेस वाले भी तो हम लोगों के खिलाफ हमेशा तैयार रहते हैं और आम जनता का तो आप जानते ही हैं, कभी धूल कभी रोड़ा, कभी जूते कभी पत्थर, कभी माला, यह सब बातें हमको ही सहनी पड़ती हैं ।

मैं डागा साहब को धन्यवाद देना चाहता हूं कि उन्होंने बड़े साहस के साथ यह बात उठाई है कि डिफाइन दी फंक्शंज, पावर्स एण्ड प्रिविलेजेज आफ मेम्बर आफ पार्लियामेंट, प्रधान मंत्री से ले कर संसद-सदस्य और मुख्यमंत्री से लेकर विधान सभा सदस्य तक इन तमाम चीजों को तय करना चाहिए और इनको इंस्ट्रूमेंट आफ सोशल ट्रांसफार्मेशन बनाना चाहते हैं तो एक कमीशन बनाइए, जिसमें इस देश के सुप्रीमकोर्ट का एक जज हो, एक वरिष्ठ पत्रकार और एक वरिष्ठ संसद-सदस्य हो । इन तीन आदमियों का कमीशन बनाइए जो सदस्यों का इंटरव्यू ले और क्षेत्र में जाए । खासकर बरसात के मौसम में जरूर जाए, ताकि उनको पता लगे कि संसद-सदस्य और विधान सभा सदस्य को कितनी कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है । भक्त जी के क्षेत्र अण्डमान-निकोबार में जाएं, जो एक पूरा का पूरा देश है । वहां पर जा कर पता चलेगा कि हमारी आवश्यकताएं क्या हैं और किस प्रकार से हम लोगों को काम करना होता है । सुबह 5 बजे से ले कर रात को 12 बजे तक लोगों का तांता लगा रहता है । इसलिए इन सब चीजों को देख कर मल्लिकार्जुन जी जो भी सुविधाएं आप देना चाहते हैं, दीजिए ।

Let there be a Commission which should probe into the functioning of the parliamentary system and know what is the status and what is the role of Parliament in the transformation of society.

सभापति महोदय, एक बात मैं और कहूंगा कि इस देश में एक अजीब सिलसिला हो गया है कि ईमानदार होना गुनहगारी है और बेईमान होना कल्चर । हम को उस कल्चर में न ले जाइए जहां पर बेईमानी ही बेईमानी हो और अगर हम ईमानदारी की बात करते भी हैं तो गुनहगार समझा जाता है । कम से कम इससे हमको बचाइए । कहा जाता है कि बाहर से ढोंग करता है, इस ढोंग बनने से हमको बचाइए । हम ईमानदारी से भरपेट भोजन करना चाहते हैं । दूसरों की इज्जत करना चाहते हैं , अपने निर्वाचन क्षेत्र के लोगों को भरपेट खाना मिले, इज्जत मिले, इसकी चिन्ता करने का अवसर आप हम को दें । पांच साल के लिए देश की जनता ने हम को चुना है । हम पांच साल ही रहेंगे लेकिन निष्ठा और ईमानदारी के साथ जनता की सेवा करेंगे । जनता की बात को सरकार तक लाएंगे । इसके लिए साधन जुटाने के लिए क्या प्रावधान होना चाहिए, इस पर सदन को गम्भीरतापूर्वक विचार करना चाहिए ।

[श्री डी० पी० यादव]

इन शब्दों के साथ मैं आपको धन्यवाद देता हूं और डागा जी को स्पेशल धन्यवाद देता हूं जिन्होंने इस विधेयक को यहां ला कर इसको देश के सामने रखा है। लिमये जी जैसे विरोधी दल के नेता का जो आर्टिकल छपा है वह आपने पढ़ा ही होगा। उन्होंने भी कहा है कि बिना सुविधाओं को बढ़ाए हुए आप इन से काम नहीं ले सकते हैं। बहुत से विरोधी दलों के नेताओं का यही कहना है। इसमें आप मत डरिए कि लोग क्या कहेंगे। आज देश के सामने जो समस्यायें हैं उन समस्याओं के समाधान के वास्ते संसद् सदस्य अपनी भूमिका कैसे निभायेंगे इस पर आप तवज्जह दें, इस पर आप सोचें। यही मुझे कहना है।

SHRI R. S. SPARROW (Jullundur): Hon. Chairman, Sir, I take privilege to bring about my observations in relation to the pay and emoluments of Members of Parliament. This, in my view, is a very important subject. And we have to we very honest about our opinion on the subject in depth. The first observation to which I would like to draw your attention to is this. Where does the status of a Member of Parliament stand in India? We happen to be the elders of the highest forum which is controlling the destiny of about 700 million people of the largest democracy in the world. That is what Members of Parliament happen to occupy their position. We work out all the problems they face concerning any subject on the surface of the globe be it the economic problem, the geophysical problem, the strategic problem, regional, ethical, internal, administrative and so on and so forth. We the top leaders have to consider all that. They have to move their brains in unison to come to certain considered conclusions which concern the fate of the millions of people of India. If that analogy is accepted, then, we have to follow it up in our arguments and in our debate. A lot has been said on this in a very eminent fashion. My hon. friend Shri Yadav who spoke before me covered aspects very cogently. So was Mr. Daga, my other hon. friend who floated this Bill for the consideration by this House. I shall be very brief in my opinion of the work-angle. I can at least give my example. I have led the profession most of my life, the best portion of my life, as a soldier, as a man who indulged in preparing high-level types of plans and then to implement those plans in a big way. I was all along professionally a diligent and hardworking person who devoted so many hours a day to the profession. Now I am a Member of Parliament. I had also been a member in the Legislature in my own State. I can very honestly tell you one particular point. Look at the amount of work or man-hours that I have to do. To my profession here, if you want me to do well, I have to put in a lot more number of hours of work for carrying on my little profession—in this case, as a legislator or Member of Parliament. And I know this: Examples have been given. All my friends sitting here, and in Rajya Sabha also, put in lot of work, in order to take the country forward. This is one point which I have to bring to your kind notice. There should be no secret, there is no secret, about it. Point number two that I want to bring to your kind notice is this: It is the status part of it. Unless you have some kind of status to move about, to pronounce your judgment, to carry people with you, the whole thing does not seem to work so far as homogeneity is concerned. So, status has a meaning. Work-status has a meaning. No comfort; no lethargy. No. Not that. There has to be a status which is observed where work is concerned. Shastri ji is not here. I might even point this out to him, who, in a round about manner, understand and bring in such questions. He might have been to Soviet Russia, a socialist State, a large State and an important State. I have had the honour also to have been there. I want to bring it to your notice: Where it is a question of status and work comfort, even in Russia—besides all other countries of the world,—they provide pay, they

provide the emoluments so that a person can work comfortably, so that he can put a good amount of work, with full efficiency. He can move about in topclass vehicles, by trains, by top-grade Zim-Kim type of Cars and so on; he can move from place to place; aircraft may also be there at his disposal; and even residential accommodation, one country-house also. All these could be at his disposal. It may be a case of a General or a Super-doctor or an Engineer or a Legislator, or anybody for that matter. It is a matter we have to cogently look into. Does it or does it not help to raise your efficiency—with the facilities, with the pay and emoluments, provided? I will give you one example more, for you to connect the whole issue, in this context. You go and travel by rail. Did you see as to where you are accommodated? Anyone on the Civil Cadre side or Armed Forces side, whosoever is getting Rs. 1600 or over, is travelling by first-class air-conditioned coach: whereas you, the Member of Parliament, rub your shoulders, in a very congested manner, with whom? That is the point I want to bring up. Not for comfort. Not for lethargy. No. When you travel from place A to place B you should be able to do some work, you should be able to prepare your speech, you should be able to think as to what you are going to deliver at the far end when you go even as a Committee Member or when you travel in your constituency or otherwise. It is this which I am trying to bring to your kind notice for your consideration. Here is a Member of Parliament. I want to bring this to the notice of the august House. Till today, the order of precedence gives the position of a Member of Parliament higher than the General Officer Commanding in Chief of a Command: a Lieut-General: Only second to the Chief-of-the-Army-Staff. When you are going to Rashtrapati Bhawan to somkind of function, your position is well-established. The order of precedence is there.

I would like to ask and also beseech the Hon. Government High Command as to how come that you should be degraded here and there in concerned with your particular status. So, that is a point which I would wish the Government high Command to very kindly keep in view.

Next I would like to bring to your kind notice the economic worries which have been explaned thoroughly by my previous speakers. In that one thing that one has to note is that when you take on this particular task of being a Legislator or a Member of Parliament, then you forget about your avocation. You cannot be an industrialist, you cannot be a farmer. I am a small farmer and I know what I am losing when I am absent the whole time. You cannot run your business or shop. No one can deny that. That means even economically you are down and we have to keep that in mind when it be the question of serving the nation, and someone is given the task to serve the nation, then he should be given reasonable type of aid so that he can maintain himself economically well enough. This is my point number 2, which I want to bring to your notice for your consideration:—

Then we have also to think in this context that you should not and we should not at any time think of living on other people's bounty. That is not fair. This is not correct. We are prepared to live cheaply; we eat sparingly and less, but essentials you cannot cut out, which have been enunciated previously very aptly—your movement, transportation your being able to fly from place to place, your being able to maintain a house with a minimum, I may with one servant. You should be able to take in and entertain the people who come to you, entertain in the sense of offering only a cup of tea, not much. Only that much. So, you will agree with me with those types of price hike, let us be very fair to each one of us that if you don't want to cheat, if you don't want to

[Shri R. S. Sparrow]

then it is essential that this angle is also taken into consideration when you fix pay and emoluments and other ancilleries for using the Members of Parliament to doing thtir task correctly.

I want to bring to your kind notice in this connection the final point that not only what has been said should be done in relation to giving transportation or other facilities, we should be able to work out homogeniously in such a manner that all Members of our class are rated as being the top elders from every point of view. It is no good my having to say one, two, three, four or five or six; which one can? It can be extended. From every point of view, we should be the top elders. Each one of us has come up here from in between ten to fifteen lakhs of people and our duties are not only to our own people, it is to the people as a whole, it is to the state as a whole it is to the country as a whole. For this reason I want to recommend to the High Command to very kindly consider all these aspects and, if necessary, as and when you deem it proper, bring in a Bill suitably or administratively to work out in such a manner that the requirements and the needs of the Members of Parliament are adequately met. Thank you for giving me some time.

श्री रीतलाल प्रसाद वर्मा (कोडरमा): सभापति महोदय, सब से पहले मैं श्री डागा साहब को धन्यवाद दूंगा कि इन्होंने एक बहुत ही महत्वपूर्ण विषय को, जो कि असलियत है, रखने का प्रयास किया है। यों, तो आजकल पत्रों में और बहुत से राजनीतिक अविचारक और संसद् के बाहर भी बहुत लोग आलोचना करते हैं कि संसद् के सदस्यों की सुविधाओं को बढ़ाने के लिए, वेतन बढ़ाने के लिए यहां बिल आया हुआ है। कई पेपरों ने ऐसा निकाला है। लेकिन सच्चाई की बात यह है कि एक संसद् सदस्य जो 15 लाख की जनसंख्या का प्रतिनिधित्व करता है और कहीं कहीं 250 वर्ग मील लम्बे तथा 100 मील चौड़ाई तक के संसदीय क्षेत्र हैं, मेरा अपना ही क्षेत्र 'कोडरमा' बिहार का पहाड़ी क्षेत्र है, मैं यह महसूस करता हूं कि जो हमारी सुविधायें हैं उन सुविधाओं के अन्तर्गत आम जनता को हमारे द्वारा जितना लाभान्वित होना चाहिए, उतना लाभ उसे हम लोगों से नहीं मिल पाता है, क्योंकि हमारी अनेक कठिनाईयां हैं। यातायात की व्यवस्था के अभाव में सुदूर गांवों में पहुंचना सम्भव नहीं हो पाता है, जीप के सिवाय वहां कोई दूसरी व्यवस्था नहीं हो सकती। बहुत से ऐसे स्थान हैं जहां रेल नहीं है, यह ठीक है सरकार की ओर रेल द्वारा फ्री जाने की व्यवस्था है, लेकिन ऐसे स्थान पर जहां रेल नहीं जा सकती, 100–100, 200–200 मील तक पैदल या जीप के अलावा जाने का कोई साधन नहीं है, वहां कैसे पहुंचा जाय? पैट्रोल के दाम आज इतने महंगे होते जा रहे हैं, यदि किराये की गाड़ी ले कर जाया जाय, तो वहीं जितना लम्बा और विशाल क्षेत्र होता है, एक संसदीय क्षेत्र में प्रायः 16–17 लाक्स होते हैं, अगर हर प्रखण्ड में दो दिन भी कोई यात्रा करे तो हर जगह पहुंचना सम्भव नहीं होता है।

इस तरह की और भी अनेक कठिनाइयां हैं, लेकिन यातायात की ही व्यवस्था हो जाय तो उस की बहुत सी कठिनाइयां कम की जा सकती हैं। यह बात बिल्कुल सर्व-मान्य है, भले ही कोई आलोचना या इज्म के आधार पर भाषण देदें, लेकिन मैं यह समझता हूं कि यह जनता के साथ न्याय नहीं है। मैंने स्वयं इस बात को अनुभव किया है कि हम जितना काम कर सकते हैं, जनता ने हमें जो पावर दी है, उस पावर के प्रयोग का बहुत आसान तरीका होता है कि उन के गांवों तक पहुंचा जाये। कई कारण ऐसे होते हैं जो वहां जाने से हल हो सकते

हैं। पिछले 35 वर्षों के दरमियान पांच पंचवर्षीय योजनायें समाप्त हो गई, अरबों-खरबों रुपया खर्च हो गया, लेकिन गांवों का विकास नहीं हो सका। आज भी 70 फीसदी लोग गरीबी की रेखा के नीचे हैं। चारों तरफ से मंडल कमीशन की रिपोर्ट को लागू करने के लिए जोर दिया जा रहा है। नाना प्रकार के वर्ग संघर्ष की स्थिति पैदा हो गई है। इसका कारण क्या है ? इस का कारण यही है कि अपनी योजनाओं को हम गांवों तक नहीं ले जा सके हैं, उस का प्रयोग गांव में नहीं कर पाये हैं, शहरों के इर्द-गिर्द ही घूमते रहे हैं। इसलिए आम जनता का एक्टिव पार्टिसिपेशन जो एक डेमोक्रेसी में होना चाहिए, वह न जनता कर पाती है और न जन-प्रतिनिधि कर पाते हैं, क्योंकि उन की सुविधायें बहुत सीमत हैं। जितनी भी योजनायें बनती हैं, उनको गांवों तक पहुंचाने के लिए, ग्रामीण जनता को उनके बारे में समझाने के लिए, यदि जन-प्रतिनिधि जनता के बीच में नहीं जायेंगे तो इन योजनाओं का कोई लाभ नहीं होगा, क्योंकि आप के सारे अधिकारी अपने अपने आफिसों में रहते हैं, वे गांवों में नहीं जाते, उन को जो सुविधायें मिलती हैं उसकी तुलना हमारे यादव जी ने पहले ही बहुत अच्छी तरह से कर दी है। यदा-कदा मैं जब भी अपने क्षेत्र की आम जनता के बीच में जाता हूं, अपने क्षेत्र का भ्रमण करने का प्रयास करता हूं, यदि एक दिन भी जीप ले कर जाता हूं तो 300 रुपया प्रतिदिन खर्च हो जाता है। यह दिन भर यात्रा कर के हम लौट कर आ पाते हैं और जाने से मैं महसूस करता हूं कि आम जनता का बहुत सा काम हमारे वहां पहुंचने से आसानी से हो जाता है और उन लोगों को भी बहुत संतोष होता है। मैं ऐसा समझता हूं कि बहुत से संसद् सदस्य अपने क्षेत्रों में एक साल में शायद कभी एक बार पहुंचते हों और न भी पहुंचते हो और पांच वर्षों के बाद चुनाव के समय ही वे पहुंचते हैं और यही कारण है कि बहुत से लोग हार भी जाते हैं। यही एक कारण उन के हारने का हो सकता है वरना कोई प्रतिनिधि हार नहीं सकता अगर वह जनता के सम्पर्क में रहे और इन चीजों के अभाव के कारण ही वह ऐसा करता होगा, मैं ऐसा मानता हूं। इसलिए मैं समझता हूं कि डागा साहब जो यह बिल लाए हैं, यह बहुत ही उचित है और सरकार को इस दिशा में गंभीरतापूर्वक विचार करना चाहिए।

जहां तक संसद् सदस्यों की सुविधाओं का सवाल है, विदेशों में देखा जाए, तो सभी देशों में भारत से कहीं बहुत ज्यादा सुविधाएं संसद् सदस्यों को मिलती हैं। जहां तक ब्रिटिश पार्लियामेंट का सवाल है, वहां एक एम०पी० को पर मंथ 12,000 रुपये मिलता है। इस के अलावा और दूसरे एलाऊन्सेज मिलते हैं। जो इस के अतिरिक्त हैं। सिंगापुर एक सब से छोटा देश है, दुनिया का और वहां एक एम० पी० को 60 हजार रुपये भारतीय मुद्रा में मिलते हैं, जो 15,500 डालर वहां की मुद्रा के बराबर हैं। इस प्रकार से डेनमार्क और दूसरे देशों को देखा जाए, तो वहां भी उन को बहुत ज्यादा मिलता है और उन को और दूसरी सुविधाएं मिलती हैं जबकि उन का क्षेत्र यहां के मुकाबले में बहुत छोटा होता है। हमारे यहां 554 लोक सभा में एम०पीज० हैं और 250 एम पीज० राज्य सभा में हैं और इतना विशाल हमारा देश है। इतने बड़े देश में एक संसद् सदस्य को अपने क्षेत्र की पूरी जिम्मेवारियों, अपने कर्तव्यों का निर्वहन करने के लिये जो मिलता है, उस में वह कुछ नहीं कर सकता। मैं अपने व्यवहार से यह जानता हूं कि **पर मंथ** आवास, बिजली पानी और टेलीफोन आदि पर ही 400–500 रुपये कट जाते हैं, और इस के बाद जो बचता है, वह अपने परिवार वालों और लोगों की आवभगत के लिए पर्याप्त नहीं है। इस युग के

[श्री रीतलाल प्रसाद वर्मा]

अनुसार एक संसद् सदस्य को ईमानदार और कर्तव्यनिष्ट बनाने के लिए उस की सुविधाओं में अभिवृद्धि करना बहुत ही न्यायोचित होगा । वेतन न बढ़े, वेतन को बढ़ाने की जरूरत मैं नहीं समझता और न मैं वेतन बढ़ाने की बात कर रहा हूं लेकिन जनता के लिए वह अधिक से अधिक काम कर सके, पंचवर्षीय योजना में सरकारी नीतियों के अनुसार कामों को करवाने के लिए वह आम जनता में व्यापक पैमाने पर जा सके और कार्यक्रमों को लागू करा सके ताकि कोई भी क्षेत्र असंतुलित न रह जाये, कोई भी क्षेत्र पिछड़ा न रह जाए, इस के लिए कई चीजों की आवश्यकता है । अब क्या होता है कि वह अपनी कांस्टीट्युएन्सी में जाता है तो जैसा यादव जी ने कहा कि जो सरकारी अधिकारी होते हैं, तो उन के लिए तो कार, जीप और दूसरी सारी सुविधाएं उपलब्ध रहती हैं लेकिन अगर संसद् सदस्य होता है तो ऐसा लगता है कि आम जनता से उसे कुछ आदर, नमस्कार तो मिल जाता है लेकिन इस के सिवाय और कोई सुविधा नहीं मिलती है और जीप आदि नहीं मिलती है ।

सभापति महोदय : नमस्कार के बदले तिरस्कार भी होता है ।

श्री रीतलाल प्रसाद वर्मा : जहां बैंकुएटस मिलते हैं वहां ब्रिकबेट्स भी मिलती हैं यह सब तो होता ही है । एक मिलिट्री डिस्पोजल की जीप की सुविधा मिलती है । वह तो स्कूल, कमेटीज, सोसाइटीज के लोगों और रिटायर्ड लोगों को भी मिलती है । तो उस में कोई बड़ी बात नहीं है ।

एक मेरा सुझाव यह भी है कि अगर कोई संसद् सदस्य जीप या कार लेना चाहे, तो उसे इन्ट्रेस्ट फ्री और एक्साइज फ्री कार मिलनी चाहिए । ऐसा अगर होगा, तो वह अपनी सुविधा के अनुसार कार ले सकता है । आज तो एक लाख रुपये की एक डीजल एम्बेसेडर कार आती है और उस का सूद देते देते सवा लाख रुपये में जा कर पड़ती है । कोई ईमानदारीपूर्वक उस कार को ले ले, तो यह संभव नहीं है । किसी न किसी तरीके का गलत काम कर के और अनुचित लाभ उठा कर ही एक एम० पी० आज कार ले सकता है । इसलिए अगर एम. पीज० को ईमानदार और कर्तव्यनिष्ठ बनाना है, तो सरकार को इस दिशा में विचार करना होगा कि एक्साइज फ्री और इन्टरेस्ट फ्री कार एक एम० पी० ले सके ।

दूसरे पोस्टेज की फेसिलिटीज भी उन को मिलनी चाहिए । टिकट, स्टेशनरी वगैरह की व्यवस्था संसद् सदस्यों के लिए करनी चाहिए । संसद् सदस्यों के पास प्रतिदिन सौ, डेढ़ सौ पत्र आते हैं । उन सभी के जवाब देने होते हैं । इसलिए हिन्दी और अंग्रेजी के टाइप राइटरों की व्यवस्था भी संसद् सदस्यों के लिए करनी चाहिए ताकि वे आम जनता के कामों को ठीक तरह से कर सकें ।

इस के अतिरिक्त एक बहुत बड़ी समस्या है । मैं कई बार ट्रेन में यात्रा करता हूं । किसी निगम का अध्यक्ष तो ए० सी० फर्स्ट क्लास में चलता है और हम लोग फर्स्ट क्लास या टू टायर ए० सी० में चलते हैं । मुझे एक बार एक अधिकारी मिले जो कि अपनी पत्नी के साथ ए० सी० फर्स्ट क्लास में जा रहे थे, और कहने लगे चलिए हमारे कम्पार्टमेंट में, वहां बैठ कर चाय पीजिए । मैंने कहा कि मैं जिस का अधिकारी हूं, मुझे वहीं रहने दीजिये । अधिकारी वर्ग तो अपनी पत्नी के साथ ए० सी० फर्स्ट क्लास में जाते हैं लेकिन एक एम० पी० अपनी पत्नी के साथ फर्स्ट क्लास में भी नहीं चल सकता । ऐसी स्थिति में एम० पी० लोगों की क्या दुर्दशा होती है, इस का आप अन्दाजा लगा सकते हैं । अगर वह अपनी पत्नी को अपने साथ ले जाएगा तो उसे कितना किराया अपने

पास से देना पड़ेगा। 1500 रुपये पाने वाला एक एम० पी० कैसे यह कर सकता है। इसलिए एम० पी० की सुविधाओं में संशोधन किया जाना चाहिए। आजकल मिलने वाली सुविधाएं वास्तविकता से परे हैं। मैं आलोचना और उलझन में जाने की बात नहीं करता। हमें औचित्य और अनौचित्य को देखना चाहिए और संसद् सदस्यों की फैसिलिटीज को बढ़ाना चाहिए।

संसद् सदस्यों को कम से कम एक महीने में दो बार वायुयान से यात्रा करने की भी सुविधा होनी चाहिए जिस से कि वे देश में विशेष परिस्थिति उत्पन्न होने पर वहां तुरन्त पहुंच सकें। ट्रेन में आये दिन दुर्घटनाएं होती रहती हैं। इसलिए महीने में दो बार वायुयान से यात्रा करने की हमें सुविधा मिलनी चाहिए। अगर सरकार इन सब बातों पर विचार करे और हमें सुविधाएं प्रदान करे तो हम अपने क्षेत्र की जनता को बहुत ही संतोष प्रदान कर सकते हैं। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपना भाषण समाप्त करता हूं।

श्री गिरधारी लाल व्यास (भोलवाड़ा) : समापति महोदय, डागा जी ने जो सेलेरी, अलाउंसिज, पेंशन आफ मेम्बर आफ पार्लियामेंट संशोधन विधेयक रखा है, उस का मैं समर्थन करता हूं। जैसा कि कई माननीय सदस्यों ने अभी आपके सामने जिक्र किया कि मेम्बर आफ पार्लियामेंट का क्या स्टेटस होना चाहिए। मेम्बर आफ पार्लियामेंट 15 लाख की आबादी से चुन कर आता है। आज उसकी क्या स्थिति है ?

आज जिले के अन्दर जितनी भी जिला कमेटियां होती हैं उन का हमेशा कलेक्टर ही चेयरमैन होता है। मेम्बर आफ पार्लियामेंट और एम० एल० ए० उनके सदस्य होते हैं। आपने आर्डर आफ प्रायोरिटी में एम० पी० को सेक्रेटरी और चीफ सेक्रेटरी के ऊपर रखा है, लेकिन जिले में एक कलैक्टर कमेटी का चैयरमैन बने और मेम्बर आफ पार्लियामेंट मैम्बर मात्र हो तो उसकी क्या स्थिति रह सकती है। यह स्थिति बदली जानी चाहिए। जिले के अन्दर जितनी भी कमेटीज हों, किसी प्रकार की भी कमेटी हो, उस का चेयरमैन पार्लियामेंट का मेम्बर होना चाहिए ताकि उस का स्टेटस मेन्टेन रहे। इस प्रकार की व्यवस्था जिला लेवल पर और कांस्टीट्युएंसी लेवल पर होगी तो मेम्बर आफ पार्लियामेंट की इज्जत बढ़ेगी।

इसी प्रकार से क्षेत्र के अन्दर जितने भी बी० डी० ओ०, तहसीलदार और कलेक्टर होते हैं, जितने भी जिला अधिकारी होते हैं, उन के पास जीपें होती हैं। हम भी वही काम करते हैं जो अधिकारी लोग करते हैं। हम भी जनता को उठाने के लिए, जनता की तकलीफों को दूर करने के लिए, योजनाओं को क्रियान्वित करने के लिए जगह जगह जा कर काम करते हैं। उसमें हमारे लिए कोई प्रावधान नहीं है और जो आफिसर्स हैं, उन को हर प्रकार की सुविधाएं मिलती हैं। मेरे कहने का मतलब यह है कि पार्लियामेंट के मेम्बर को जो कि जिले की तमाम कमेटियों का मेम्बर होता है, तमाम कार्यक्रमों की निगरानी करनी होती है, सारे कामों की देखरेख करनी होती है, उस को भी इस प्रकार की सुविधाएं अपने क्षेत्र में मिलनी चाहिएं ताकि डेवलपमेंट वर्क में होने वाली गड़बड़ियों को वह देख सके और उन को दूर करने का ज्यादा से ज्यादा प्रयास कर सके। इसलिए इस प्रकार की सुविधाएं उस को निश्चित रूप से दी जानी चाहिएं।

जैसा कि कहा गया कि हमें जितना पैसा मिलता है, अगर हम एक बार क्षेत्र का

[श्री गिरधारी लाल व्यास]

दौरा कर लें तो सारे का सारा एक दफा में ही समाप्त हो जाता है। इस से अपने क्षेत्र के प्रति कर्तव्यों का सदस्य सही रूप में पालन नहीं कर पाता है और जिन लोगों ने हमको इसलिए चुन कर भेजा है कि उन की सुख-सुविधाओं का हम ख्याल रखें, गरीबी निवारण, बेरोजगारी और अन्य कार्यक्रमों में सरकार का हाथ बटाएं और कार्यक्रमों को किस प्रकार से कार्यान्वित करना है, इन सब में सही रूप में हिस्सा लेने के लिए सदस्य को सुविधाएं मिलनी चाहिएं, तभी वह अपने क्षेत्र में अच्छे तरीके से काम कर सकेगा। अगर ऐसा नहीं किया जाएगा तो सारी व्यवस्था गड़बड़ा जाएगी।

डागा साहब ने जो अमेंडमेंट बिल प्रस्तुत किया है, उस में कुछ सुझाव दिए गए हैं। सेक्शन (2) में पहली सब क्लाज में 500 रुपए से 800 रुपए और डेली अलाऊंस 51 रुपए से बढ़ा कर 65 रुपए करने के लिए कहा है। मैं समझता हूं कि यह पैसा बढ़ाना इतना आवश्यक नहीं है, जितना हमारी सुविधाओं का ध्यान रखने की जरूरत है। पैसा बढ़ा दें तो कोई हर्ज नहीं है, उस से एफीशिएंसी बढ़ेगी, लेकिन जिस प्रकार से हम को खर्च करना पड़ता है, उस के लिए सुविधाएं बढ़ाना आवश्यक है। हमारे क्षेत्र के लोग आते हैं, उन की वजह से टेलीफोन का खर्च और पोस्टेज खर्च, मकान, बिजली, पानी और अन्य सुविधाओं का खर्च हमारे ऊपर पड़ता है। इन सब का पैसा सरकार को सदस्य देता है। जो 1500 रुपए मिलते हैं, मकान किराया, बिजली, पानी और फर्नीचर का किराया ही लगभग 500 रुपए हो जाता है और टेलीफोन का खर्च भी 2-3 सौ रुपए तो कम से कम आ जाता है। ये सुविधाएं पार्लियामेंट के मैम्बर को पैसा देकर लेनी होती हैं। उस के बाद कितना पैसा बचता है ?

सभापति महोदय : टेलीफोन जहां आप चाहते हैं वहां लग जाता है ?

श्री गिरधारी लाल व्यास : सभापति महोदय यह तो विषय दूसरा था, इसलिए मैंने जिक्र नहीं किया। वैसे टेलीफोन के बारे में आम शिकायत है। आज दो साल हो गए हैं, मेरे क्षेत्र में आज तक मुझे टेलीफोन पर बात नहीं हो सका है। इस प्रकार की स्थिति है। इसलिए टेलीफोन की बात करना तो बेकार है। पिछली दफा जब चर्चा हुई थी तो हमने टेलीफोन के बारे में बहुत कुछ कहा, लेकिन फिर भी आज तक कोई सुधार नहीं हुआ। फिर भी जो खर्चा होता है, ट्रंक काल करें, और न मिले तो कैंसल करवाने पर भी कुछ देना ही पड़ता है इस प्रकार से काफी बिल आ जाता है।

जैसा यादव जी ने कहा पार्लियामेंट के सदस्यों के पास डाक इतनी आती है जिस का उन को जवाब देना पड़ता है कि उस पर काफी खर्च हो जाता है। फिर उन पत्रों की पैरवी भी उन्हीं को करनी पड़ती है। अब पंद्रह सौ रुपया हमें मिलता है। इन सब खर्चों के लिए कितना पैसा बचता है होगा इस का अंदाजा आप स्वयं लगा सकते हैं। दस पंद्रह लोग उस के निर्वाचन क्षेत्र से या प्रदेश से उन के पास रोज आते रहते हैं। उन का खर्चा भी आप लगाएं। अब अगर सदस्यों को 51 रुपये भत्ता न मिले तो उनके वास्ते तनख्वाह में काम चलाना भी मुश्किल हो जाए। दोनों को मिला कर बड़ी मुश्किल से वह कामकाज चलाता है। परिवार के लोगों को खिलाए या न खिलाए यह अलग चीज है। सारा पैसा कांस्टिट्युएंसी के काम के लिए, मकान के किराये, टेलीफोन, डाक आदि में खर्च हो जाता है। अगर आप चाहते हैं कि पार्लियामेंट का सदस्य ईमानदार रहे तो ठीक प्रकार से उस के लिए आप को कुछ न कुछ व्यवस्था करनी पड़ेगी।

मैं यह नहीं कहता जैसे डागा जी ने कहा कि पांच सौ की जगह आप आठ सौ

कर दें। लेकिन मैं यह अवश्य चाहता हूं कि सदस्यों को सुविधाएं बढ़नी चाहियें। पैसा आप न भी दें लेकिन उस को आप मकान, फर्नीचर, लाइट, पानी फ्री दें, सफाई करने वाले को आप की व्यवस्था करें, टेलीफोन की व्यवस्था ऐसी करें कि एक लिमिट आप बांध दें और उस लिमिट तक कालज फ्री हों। आप कह सकते हैं कि दो सौ रुपए तक की ट्रंक कालज पार्लियामेंट का सदस्य फ्री कर सकता है। इससे काफी सुविधा सदस्यों को हो जाएगी।

सदस्य डाक को बिना किसी की मदद के डिसपोज आफ नहीं कर सकता है। मदद देना निहायत आवश्यक है। दूसरे देशों में उस को पी ए मिलता है। यहां पी ए का सवाल ही नहीं है। वह खुद ही पी ए, बावर्ची, भिश्ती है। झाड़ू लगाने का काम भी उस का है, रोटी बनाने का भी उस का है, पत्र लिखने का काम भी हमें खुद ही करना पड़ता है। फिर कांस्टीट्युएंसी का या जनता का हम क्या काम करेंगे ? किस तरह से स्टडी कर के पार्लियामेंट में गुड्ज डिलिवर कर सकेंगे ? इन सब प्रश्नों पर गम्भीरता से सोचने की आवश्यकता है।

आप देखें कि असैम्बलियों के सदस्यों को क्या क्या सुविधायें प्राप्त हैं। मुझे राजस्थान का अनुभव है। वहां एम एल एज को जितनी फैसिलिटीज हैं उतनी यहां पार्लियामेंट के सदस्यों को नहीं है। उनका मकान फ्री, बिजली पानी फ्री, टैलीफोन की भी उनके लिए व्यवस्था यह सब कुछ होता है। इतना पैसा मिलता है कि दो आदमी नहीं बल्कि तीन आदमी सारे देश का भ्रमण कर सकते हैं। हमें उतनी फैसिलिटीज कहां हैं। ऐसी अवस्था में कैसे आप हमारी एफिशैंसी बढ़ा सकते हैं, कैसे अपेक्षा कर सकते हैं कि हिन्दुस्तान की तरक्की में हम अपना योगदान कर सकें, गुड्ज डिलिवर कर सकें। ऐसी व्यवस्था की जानी चाहिये ताकि एम पी ज्यादा बेहतर स्थितियां पैदा करने में सहायक हो सके। यह नितान्त आवश्यक है।

एक सदस्य एक बार पार्लियामेंट के आने के वक्त अपनी पत्नी को साथ ला सकता है या फिर खत्म होने पर उसको वापिस ले जा सकता है। बीच में उसको जाना हो तो वह अपनी बीवी को साथ नहीं ले जा सकता है और ले जाना चाहता है तो उसका खर्चा उसको स्वयं वहन करना पड़ेगा। कोई बीमार पार्लियामेंट का मैम्बर है और वह समझता है कि बीवी साथ ले जाना आवश्यक है ताकि वह उसकी देखभाल कर सके, उसकी तीमारदारी कर सके तो उसका उसको टिकट लेना पड़ेगा। लेकिन असैम्बलीज के मैम्बर्ज को पासिस मिलते हैं। वे अपनी पत्नियों को भी साथ ले जा सकते हैं, नौकर को भी ले जा सकते हैं, परिवार के लोगों को भी ले जा सकते हैं, उनको सब जगह घुमा सकते हैं। मैं चाहता हूं कि पार्लियामेंट के सदस्यों को फ्री पास मिलना चाहिये ताकि वे अपनी पत्नियों को अपने निवास स्थान से दिल्ली और दिल्ली से अपने निवासस्थान जब भी आवश्यक हो ले जा सकें।

इसके साथ साथ जब पार्लियामेंट का सेशन होता है, तो सदस्य अपने छोटे छोटे बच्चों को कहां छोड़ सकता है ? उनको साथ लाना पड़ता है। यह व्यवस्था करनी चाहिए कि पार्लियामेंट का सेशन शुरू होने के समय के लिए जो पास पत्नी के लिए दे रखा है, वह बच्चों के लिए देना चाहिए और पत्नी को सदस्य की तरह पर्मानेंट पास मिलना चाहिए।

जहां तक हवाई जहाज की यात्रा का सम्बन्ध है, बजट सेशन में एक दफा आने,

[श्री गिरधारी वाल व्यास]

एक दफ़ा जाने और बीच में एक दफ़ा आने-जाने की सुविधा दे रखी है। छोटे सेशन्स में एक दफ़ा आने-जाने की सुविधा दी गई है। बहुत से सदस्यों के लिए इस सुविधा का उपयोग नहीं है। जब जरूरत होती है, तो वे हवाई जहाज से ट्रेवल नहीं कर सकते। श्री यादव ने सुझाव दिया है कि महीने में दो पास दिए जायें। मेरा सुझाव यह है कि बजट सेशन में चार पास और छोटे सेशन्स में दो दो पास जो इस समय दिए हुए हैं, उनका उपयोग हम कभी भी कर सकें। ऐसी व्यवस्था की जा सकती है कि जब भी सदस्य को हवाई जहाज से ट्रेवल करने की आवश्यकता पड़े, उसकी सुविधा कानसालिडेटिड फ़ंड में से दी जाए। हमें उसी तरह से छः या आठ पास हवाई जहाज के मिलें और हम उनका उपयोग इमर्जेन्सी में कर सकें, इस प्रकार की व्यवस्था होनी चाहिए।

जहां तक मेडिकल फ़ैसिलिटीज का सम्बन्ध है, दिल्ली में तो हमें कार्ड दे रखा है, जिसके जरिये से हमें दवाई मिले। बहुत दफ़ा तो दवाई नहीं मिलती है, क्योंकि डिसपेंसरी के लोग कह देते हैं कि दवाई ऐवेलेबल नहीं है। बेचारा बीमार भटकता फिरता है और अपने पैसे से दवाई ख़रीदता है। चूंकि वह थोड़ा सा पैसा होता है, इसलिए उसका बिल या वाउचर भी गायब हो जाता है। लेकिन ज्यादा तक्लीफ़ हमारे परिवार के लोगों को होती है। वे लोग तो कांस्टीट्युएन्सी में रहते हैं, जहां भारत सरकार की कोई डिसपेंसरी नहीं है और न ही भारत सरकार द्वारा निर्धारित कोई दवाई बेचने वाला है। ऐसी स्थिति में पार्लियामेंट के मेम्बर को अपने परिवार के लोगों के इलाज के लिए बहुत तक्लीफ़ उठानी पड़ती है। इसलिए ऐसी व्यवस्था करनी चाहिए, जिससे हमारे परिवार के सदस्यों को माकूल तरीके से मेडिकल फ़ैसिलिटीज मिल सकें।

मैं समझता हूं कि मैंने जो चन्द सुझाव दिए हैं, मंत्री महोदय उन पर ध्यान देंगे।

श्री जी० पी० यादव : विदेश।

श्री गिरधारी लाल व्यास : विदेश के बारे में मैं नहीं कहना चाहता हूं। कनसल्टेटिव कमेटियों और दूसरी कमेटियों की बैठकों के सिलसिले में हम कलकत्ता, बम्बई, काश्मीर और हिन्दुस्तान के दूसरे स्थानों में जा सकते हैं, लकिन जब अध्यक्ष महोदय ने उन बैठकों को किसी दूसरी जगह करना बन्द कर दिया है तो हम विदेश की क्या बात करें? हम अपने देश में ही नहीं घूम सकते हैं, दूसरे देशों में क्या घूमेंगे?

मैं कहना चाहता हूं कि जो फ़ैसिलिटीज पहले दी गई थीं, उन्हें रिवाइव किया जाए और हमारी तक्लीफ़ों का निवारण किया जाए। पार्लियामेंट के सदस्यों को ऐसी सुविधाएं देनी चाहिए, जिससे वे हिन्दुस्तान के प्रजातंत्र को ज्यादा से ज्यादा मजबूत बनाने में अपना योगदान दे सकें।

इन शब्दों के साथ मैं श्री डागा के बिल का समर्थन करता हूं।

श्री अशफाक हुसैन (महाराजगंज) : सभापति महोदय, इससे पहले कि मैं अपनी बात आप के सामने रखूं, मैं आपके माध्यम से संसद्-कार्य मंत्री, श्री मल्लिकार्जुन, से निवेदन करना चाहता हूं—आपके माध्यम से इस लिए भी कि अभी कुछ देर पहले आपने स्वयं कहा है कि सदन की भावना क्या है, वह आप अच्छी तरह से जानते हैं और समझ गए हैं—कि और माननीय सदस्य भी अपने अपने सुझाव देंगे और अपनी बातें कहेंगे। यह बात चलती रहेगी। यह सेशन भी ख़त्म हो जाएगा और दूसरा सेशन आएगा, तब भी यह सिलसिला ख़त्म नहीं होगा। मैं तो श्री मल्लिकार्जुन से निवेदन करूंगा कि वे सरकार की तरफ से यहां आश्वासन दें

कि सरकार इस पर एक्टिवली विचार करेगी और डागा जी से हम निवेदन करेंगे कि वे अपना बिल वापिस ले लें, लेकिन अगर ऐसी बात नहीं होने वाली है तो मैं अपनी बात आपके माध्यम से शुरू करना चाहता हूं। यदि मल्लिकार्जुन जी कुछ कहना चाहें, तो कह दें।

रेल तथा शिक्षा और समाज कल्याण मंत्रालयों तथा संसदीय कार्य विभाग में उप मंत्री (श्री मल्लिकार्जुन) : आपने सभापति जी के माध्यम से कुछ अपनी बातें कही हैं।

सभापति महोदय : आपकी विनतियों और बातों को सुनना चाहते हैं, जब जानकारी होगी, तभी कुछ करेंगे।

श्री अशफाक हुसैन : मैं आपके माध्यम से अपनी बात शुरू करना चाहता हूं, उनका विभाग रेलवे विभाग भी है। मैं इसलिए अपनी बात रेलवे विभाग से शुरू करना चाहता हूं क्योंकि अभी संसद सदस्यों के आर्डर आफ प्रैजिडेंस की बात यादव जी ने भी कही है और हमारे माननीय सदस्य, जनरल स्पैरो साहब, ने भी बताई है। एक सलाहकार समिति रेलवे की बनती है—डी.आर.यू.सी.सी., जड.आर.यू.सी.सी., एन.आर.यू.सी.सी. और उसमें संसद सदस्य संसद के रिप्रेजेंटेटिव्ज की हैसियत से, संसद सदस्यों के नुमाइन्दे की हैसियत से, सदस्य नोमिनेट किए जाते हैं। इत्तफाक से वह भी विभाग मल्लिकार्जुन जी के पास है। मैंने इनके मंत्री जी श्री भीष्म नारायण सिंह, से निवेदन किया और इत्तफाक से मेरा नाम उन्होंने डी.आर.यू.सी.सी. में संसद सदस्य के नुमाइन्दे की हैसियत से नॉमिनेट कर दिया। मैंने यह भी निवेदन किया कि अब तो प्रदेश की सरकारों में भी जिलों में सलाहकार समितियां बनी हैं, उन सलाहकार समितियों की अध्यक्षता कोई सरकारी अधिकारी के बजाय संसद सदस्य या विधान सभा का सदस्य या कोई मंत्री रोटेशन के आधार पर करता रहे, तो उचित है। लेकिन मंत्री जी ने मुझे बताया कि आप तो बात बड़ी अच्छी बता रहे हैं और मुझे लिख कर भेज दीजिए। मैंने लिखकर भेज दिया। लिखकर भेजने के बाद जवाब मुझे यह मिला कि साहब कुछ ऐसी टैकनीकल बातें होती हैं और कुछ टैक्नीकल ऐसी जगहें होती हैं, जिनके लिए संसद सदस्य मौजूं नहीं है। उसकी अध्यक्षता के लिए कॉम्पीटेंट नहीं है। एक तरफ आप उसका रुतबा बढ़ा देते हैं कि कमाण्डर-इन-चीफ के बाद नम्बर संसद सदस्य का है, चीफ-सैक्रेटरी के ऊपर नम्बर संसद सदस्य का है, सैक्रेटरी के ऊपर नम्बर संसद सदस्य का है, लेकिन बैठता है, वह किस की अध्यक्षता में—डीवीजनल रेलवे मैनेजर की अध्यक्षता में। मैंने इसके लिए प्रोटैस्ट किया, इसलिए कि संसद सदस्यों के अधिकार सुरक्षित रहें। संसद सदस्यों को जिस ढंग से काम करना है, वह ढंग से काम कर सकें और मैंने अपना नाम वापिस ले लिया, क्योंकि यह संसद सदस्यों की परम्परा के खिलाफ है कि वह किसी छोटे या बड़े किसी सरकारी अधिकारी की अध्यक्षता में काम करे।

यह संसद सदस्यों के सुविधाओं की बात है, इसलिए मैं एक और बात श्री मल्लिकार्जुन से कहना चाहता हूं, क्योंकि इन्होंने दो मंत्रालयों को संभाला हुआ है।

श्री डी० पी० यादव : इन्होंने दो नहीं तीन मंत्रालयों को संभाला हुआ है। सबसे ज्यादा डिपार्टमेंट मल्लिकार्जुन जी के पास हैं, इसलिए इनको ज्यादा एलाउन्स मिलना चाहिए।

श्री अशफाक हुसैन : सबसे ज्यादा डिपार्टमेंट श्री मल्लिकार्जुन के पास हैं इसलिए

[श्री अशफाक हुसैन]

हम आशा करते हैं कि वे इनको अच्छी तरह से देखेंगे ।

श्री डी० पी० यादव : सभापति जी, इनको आफिशिएटिंग एलाउन्स भी मिलना चाहिए ।

सभापति महोदय : आप लोग एप्रिशिएट कर रहे हैं, यह क्या कम है ।

श्री अशफाक हुसैन : जो बात अब मैं कहने जा रहा हूं, उसमें मल्लिकार्जून फिर सामने आ गए । वे इसलिए सामने आ गए कि मेरा कल ही एक सवाल था और वह सवाल था--रेल के अधिकारियों को रिटायरिंग रूम या रेलवे के बंगलों के बारे में ।

17.00

श्रीमती रामदुलारी सिन्हा : कल की बात आज मत कीजिये । आने वाले कल की बात कीजिये ।

श्री अशफाक हुसैन : मैं वह कल जो बीत चुका है उसकी बात कर रहा हूं । मैंने सवाल पूछा था कि स्टेशनों पर जो रिटायरिंग रूम्ज़ हैं जिन में ठहरने की सुविधायें हैं, रेल के छोटे-बड़े सभी अधिकारी जब उन का इस्तेमाल करते हैं तो उन से या तो कोई किराया नहीं लिया जाता, या लिया जाता है तो बहुत मामूली किराया लिया जाता है । मल्लिकार्जुन साहब की तरफ़ से जवाब मिला कि संसद सदस्यों को वह सुविधा नहीं दी जा सकती ।

श्री डी० पी० यादव : क्यों भाई ?

श्री झारखण्डे राय (घोसी) : वह जवाब तो किसी और ने उनको बना कर दिया है ।

श्रीमती रामदुलारी सिन्हा : यह रिटन था या ओरल था ?

श्री अशफाक हुसैन : रिटन था । मैं तो यह कहता हूं कि मल्लिकार्जुन साहब अगर सब बातें मान जायं तो यह सब सुनने का मौका नहीं मिलेगा ।

सभापति महोदय : सभापति के माध्यम से कहिये तो वह मान जायेंगे ।

श्रीमती रामदुलारी सिन्हा : आप की बात सुन कर वह प्रसन्न हो गये हैं, अब आगे बढ़िये ।

श्री अशफाक हुसैन : प्रसन्न हो गये हैं, लेकिन उन्होंने जवाब कोई नहीं दिया । यदि इतने से ही इन को प्रसन्नता है, तो मैं क्या कहूं, जवाब न देने से संसद सदस्यों को सुविधा नहीं मिल सकती है, उन को कुछ तो कहना चाहिये ।

श्री मल्लिकार्जुन : बात ऐसी है...

श्री राजेन्द्र प्रसाद यादव : आप पहले उन की बात सुन लीजिये, फिर जवाब दीजिये ।

सभापति महोदय : आप पहले अपने सब सुझाव रखिये, उस के बाद वे जवाब देंगे । क्योंकि अभी इस पर बोलने वाले बहुत से सदस्य बाकी हैं, इसलिये आप इस बात पर भी नजर रखिये । यदि इस तरह से सवाल-जवाब चलेगा तो चल नहीं पायेगा ।

श्री अशफाक हुसैन : मैं यही अर्ज करना चाहता हूं कि जहां तक तनख्वाह बढाने की बात डागा जी के बिल में आई हैं मैं उस से सहमत नहीं हूं, लेकिन जहां तक सुविधा बढाने की बात है मैं उसको ज्यादा आवश्यक समझता हूं । तनख्वाह से मेरा मतलब है 500 रुपये माहवार से है, जिस के बढ़ाने के मैं हक में नहीं हूं, लेकिन जो हम को डेली-एलाउन्स मिलता है उसको बढाने के लिये मैं पूरी तरह से सहमत हूं । उन का जो सुझाव है--65 रुपये रोज का, वह तो बहुत कम है ...

श्री मूल चन्द डागा : 101 रुपये कर दिया है ।

श्री अशफाक हुसैन : मैं आपसे यही प्रार्थना करूंगा, यदि आप इस को पराक्ष रूप से देखें तो जब यह बिल पहले आया था, जब यह एक्ट की शक्ल में पास हुआ था, वह कौन सा जमाना था, किस जमाने में आपने 51 रुपये रोज शुरू किये थे और आज उस 51 रुपये की कितनी वैल्यू है, कितना इनफलेशन आज बढ़ गया है। आज दूसरे कर्मचारियों का कितना डीयरनेस अलाउन्स बढ़ गया है, मैं उसका मुकाबला नहीं करता, मैं यह नहीं कहता कि मजदूरों को क्यों दिया गया, वह उन का हक है, वे उस को जरूर मागेंग और उन को वह मिलना भी चाहिये, हम उनके लिये लडेंगे, लेकिन आप सदन में ऐसा माहौल न पैदा करें कि हम लोग भी ट्रेड यूनियन बना कर लड़ाई छेड़ दें । यह ट्रेड यूनियन का सवाल नहीं है, यह सुविधायें देने का सवाल है । आप देखिये इस देश में 5–6 विधान सभायी क्षेत्रों को मिला कर एक पार्लियामेंट का क्षेत्र बनता है । विधान सभा और विधान परिषदों के मैम्बरों को आप कितनी सुविधाये देते हैं, इस रोशनी में आप देखें...

श्री राजेन्द्र प्रसाद यादव: 7 असैम्बली क्षेत्रों के मुकाबले एक पार्लियामेंटरी क्षेत्र होता है ।

श्री अशफाक हुसैन : सात असेम्बली क्षेत्रों के मुकाबले एक पार्लियामेंटरी क्षेत्र होता है, लेकिन आप पार्लियामेंट के मैम्बर को एम० एल० ए० के मुकबाले कितनी सुविधा देते हैं, इस रोशनी में देखें ।

मैं विदेशों का मुकाबला नहीं करना चाहता, क्योंकि विदेशों में जो हालात हैं, वे हमारे देश में नहीं हैं । लेकिन इस बात का मुकाबला जरूर करना चाहता हूं––कितनी जनसंख्या का प्रतिनिधित्व वहां की पार्लियामेंट का मैम्बर करता है और कितनी जनसंख्या का प्रतिनिधित्व हम करते हैं । कितने क्षेत्र का प्रतिनिधित्व वहां की पार्लियामेंट का मैम्बर करता है और कितने क्षेत्र का प्रतिनिधित्व हम यहां हिन्दुस्तान के पार्लियामेंट के मैम्बर करते हैं । इस के मुकाबले की बात मैं इस लिये कर रहा हूं क्योंकि इसकी आवश्यकता है । इस के बारें में सभी लोगों ने कहा है और यह एक बहुत आवश्यक मसला है। चुनाव के दर्मयान चाहे पार्टी की तरफ से या अपनी रिसोर्सेज से एक आदमी कुछ जीपें या गाड़िया इकट्ठा कर ले लेकिन उस के बाद वह अपने चुनाव क्षेत्र में नहीं जा पाता । बाद में एक दिन के लिये अगर वह कहीं जाना चाहे, अपने क्षेत्र के किसी कोने में जाये, तो कम से कम 300––400 रुपये उसके खर्च हो जाते हैं । बहुत से ऐसे इलाके हैं, जहां पर बगैर गाडी या जीप के आदमी पहुंच नहीं सकता । इसलिये बहुत ज्यादा पैसा खर्च करके वहां जाना होता है। इसलिये मैं यह निवेदन करूंगा कि कम से कम हफ्ते में एक दिन संसद सदस्य को जीप मिलनी चाहिए ।

श्री डी० पी० यादव : हफ्ते में एक दिन नहीं, बल्कि हमेशा उसके डिस्पोजल पर जीप रहे ।

श्री अशफाक हुसैन: आप अपनी बात कह चुके हैं, मुझे अब अपनी बात कहने दीजिये । मैं हफ्ते में एक दिन की बात कह रहा हूं। कम से कम हफ्ते में एक दिन सवारी की सुविधा एक एम० पी० को उस की कांस्टीटुयेन्सी में घूमने के लिये देनी चाहिए । अगर हफ्ते में एक दिन वह

[श्री अशफाक हुसैन]

अपनी कांस्टीटुयेन्सी में भ्रमण कर लेगा और लोगों से सम्पर्क करेगा...(व्यवधान) ...हफ्ते में एक दिन का मतलब है महीने में चार दिन। इसी लिये मैंने सब से पहले कहा था कि और बातें हम से मत कहलवाइये और आप खुद ही इस बात को मान लीजिये ताकि हमारे कहने की आवश्यकता न रह जाये। हफ्ते में एक दिन जीप की सुविधा अपने क्षेत्र में भ्रमण के लिये, अपने क्षेत्र में लोगों से सम्पर्क के लिये आवश्यक है। अपने कपड़े लत्ते बनवाने के लिये कोई सुविधा नहीं मांग रहे हैं। हम देश की जनता के नुमायन्दे हैं और उनकी नुमायन्दगी करना हमारा कर्त्तव्य है और उनकी नुमायन्दगी हम यहां करते हैं। उनसे हमारा सम्पर्क कायम रहे और उन की बातों को हम आसानी से आपके सामने रख सकें, यह हम चाहते हैं।

अभी हमारे सहयोगी मित्र यादव जी ने बहत साफ साफ फाइव इयर प्लान की कोटेशन्स से यह साबित किया कि हमारी क्या जिम्मेदारियां हैं। जिम्मेदारियां तो हमारी बहुत सी हैं और हमारे पास जितने कागजात आते रहते हैं, जितनी चिट्ठियां आती रहती हैं, उन सब का जवाब देना आवश्यक है। अगर एक क्वेश्चन तैयार करना है, तो उसके लिये भी सुविधा चाहिए और अगर हाउस में कोई तकरीर करनी है, कोई बयान देना है, तो उसके लिये ऐसी सुविधायें चाहिए जिन से हम अपना काम आसानी से कर सके। मैं यह निवेदन करूंगा कि सदन की भावना से आप अच्छी तरह से अवगत हैं, सदन के सदस्यों की आवश्यकताओं से भी अच्छी तरह से वाकिफ हैं। क्या उन की सुविधाओं में कमी है और क्या उनकी आवश्यकताए हैं, ये आप अच्छी तरह से जानते हैं। बजाय इस के कि मैं सारी बाते आपके सामने रखें, मैं अपनी बात इसी पर समाप्त करता हूं कि आप स्वं मंत्री जी को निर्देश दें कि वे सदन की भावनाओं को देखते हुए अगले सत्र में कोई ऐसा बिल लाये, जिस से सारे सदन की भावनाओं की पूर्ति हो।

इतना निवेदन करके मैं समाप्त करता हूं।

شری اشفاق حسین (مہاراج گنج):

سبھاپتی مہودے - اس سے پہلے کہ میں اپنی بات آپ کے سامنے رکھوں میں آپ کے مادھیم سے سنسد کاریہ منتری شری ملک ارجن سے نویدن کرنا چاہتا ہوں - آپ کے مادھیم سے اس لئے بھی کہ ابھی کچھہ دیر پہلے آپ نے سویم کہا ہے کہ سدن کی بھاونا کیا ہے - وہ آپ اچھی طرح سے جانتے ہوں - اور سمجھہ گئے ہیں کہ اور مانیے سدس بھی اپنے اپنے سجھاو دیں گے اور اپنی باتیں کہیں گے - یہ بات چلتی رہے گی یہ سیشن بھی ختم ہو جائے گا اور دوسرا سیشن آئے گا تب بھی یہ سلسلہ ختم نہیں ہوگا - میں تو شری ملک ارجن سے نویدن کرونگا کہ وہ سرکار کی طرف سے یہاں آشواسن دیں کہ سرکار اس پر ایکٹھولی وچار کرے گی اور ڈاکٹر جی سے ہم نویدن کریں گے کہ وہ اپنا بل واپس لے لیں لیکن اگر ایسی

آر - یو - سی - سی - این - آر - یو - سی ، سی - اور اس میں سنسد سدس سنسد کے ریپریزنٹیٹوز کی حیثیت سے سنسد سدسیوں کے نمائندے کی حثیت سے سدس نامینیٹ کئے جاتے ہیں اتفاق سے وہ بھی وبھاگ ملک ارجن جی کے پاس ہے - میں نے ان کے منتری جی شری بھشم نارائین سنگھ سے نویدن کیا اور اتفاق سے میرا نام انہوں نے دی - آر - یو - سی - سی - میں سنسد سدس کے نمائندے کی حیثیت سے نامینیٹ کر دیا - میں نے یہ بھی نویدن کیا کہ اب تو پردیش کی سرکاروں میں بھی ضلعوں میں صلح کار سمتیاں بنتی ہیں - ان صلح کار سمتیوں کی ادھیکشتا کوئی سرکاری ادھیکاری کے بجائے سنسد سدس یا ودھان سبھا کا سدس یا کوئی منتری روتیشن کے آدھار پر کرتا رہے تو اچت ہے لیکن منتری جی نے مجھے بتایا کہ آپ تو بات بڑی اچھی بتا رہے ہیں اور مجھے لکھ کر بھیج دیجئے - میں نے لکھ کر بھیج دیا لکھ کر بھیجنے کے بعد جب جواب یہ ملا کہ صاحب کچھ ایسی ٹیکنیکل باتیں ہوتی ہیں اور کچھ ٹیکنیکل ایسی جگہیں ہوتی ہیں جن کے لئے سنسد سدس موزوں نہیں ہے - اس کی ادھیکشتا کے لئے کمپیٹینٹ نہیں ہے ایک بات نہیں ہونے والی ہے تو میں اپنی بات آپ کے مادھیم سے شروع کرنا چاہتا ہوں - بدی ملک ارجن جی کچھ کہنا چاہیں تو کہہ دیں -

ریل شکشا تتھا کلیان منتراليه تتھا سنسدیئے کاریہ وبھاگ کے اُپ منتری (شری ملک ارجن) : آپ نے سبھاپتی جی کے مادھیم سے کچھ اپنی باتیں کہی ہیں -

سبھاپتی مہودے : آپ کی باتوں اور باتوں کو سننا چاہتے ہیں - جب جانکاری ہوگی تب ہی کچھ کریں گے -

شری اشفاق حسین : میں آپ کے مادھیم اپنی بات شروع کرنا چاہتا ہوں ان کا وبھاگ ریلوے وبھاگ بھی ہے میں اس لئے اپنی بات ریلوے وبھاگ سے شروع کرنا چاہتا ہوں کیونکہ ابھی سنسد سدسوں کے آرڈر آف ریزیڈینس کی بات یادو جی نے بھی کہی ہے اور ہمارے مانئے سدس جنرل اسپیرو صاحب نے بھی بتائی ہے ایک صلح کار سمتی ریلوے کی بنتی ہے دی - آر - یو - سی - سی - زیڈ -

[شری اشفاق حسین]

طرف آپ اس کا رتبہ بڑھا دیتے ہیں کہ کمانڈر ان چیف کے بعد نمبر سنسد سدس کا ہے چیف سیکریٹری کے اوپر نمبر سنسد سدس کا ہے سیکریٹری کے اوپر نمبر سنسد سدس کا ہے - لیکن بیٹھتا ہے وہ کس کی ادھیکشتا میں ڈیویزنل ریلوے مینیجر کی ادھیکشتا میں میں نے اس کے لئے پروٹیسٹ کیا اس لئے کہ سنسد سدسوں کے ادھیکار سرکشت رہیں - سنسد سدسوں کو جس ڈھنگ سے کام کرنا ہے وہ ڈھنگ سے کام کر سکیں - اور میں نے اپنا نام واپس لے لیا کیونکہ یہ سنسد سدسوں کی پرم پرا کے خلاف ہے کہ وہ کسی چھوٹے یا بڑے کسی سرکاری ادھیکاری کی ادھیکشتا میں کام کرے -

یہ سنسد سدسوں کے سودھاؤں کی بات ہے اس لئے میں ایک اور بات شری ملک ارجن سے کہنا چاہتا ہوں کیونکہ انہوں نے دو منترالیوں کو سنبھالا ہوا ہے -

شری ڈی - پی - یادو : انہوں نے دو نہیں تین منترالیوں کو سنبھالا ہوا ہے - سب سے زیادہ ڈیپارٹمنٹ ملک ارجن جی کے پاس ہیں اس لئے ان کو زیادہ الاونس ملنا چاہئے -

شری اشفاق حسین : سب سے زیادہ ڈیپارٹمنٹ شری ملک ارجن جی کے پاس ہیں اس لئے ہم آشا کرتے ہیں کہ وہ ان کو اچھی طرح سے دیکھیں گے -

شری ڈی - پی - یادو : سبھاپتی جی ان کو آفیشی ایٹنگ الاونس بھی ملنا چاہئے -

سبھاپتی مہودے : آپ لوگ ایپری شی ایٹ کر رہے ہیں - یہ کیا کم ہے -

شری اشفاق حسین : جو بات اب میں کہنے جا رہا ہوں اس میں ملک ارجن پھر سامنے آ گئے وہ اس لئے سامنے آ گئے کہ میرا کل ہی ایک سوال تھا اور وہ سوال تھا ریل کے ادھیکاریوں کو رٹائرنگ روم یا ریلوے کے بنگلے کے بارے میں -

شریمتی رام دلاری سنہا : کل کی بات آج مت کیجئے آنے والے کل کی بات کیجئے -

شری اشفاق حسین : میں وہ کل جو بیت چکا ہے - اس کی بات کر رہا ہوں میں نے سوال پوچھا تھا کہ اسٹیشنوں پر جو رٹائرنگ روم

شریمتی رام دلاری سنہا : آپ کی بات سن کر وہ پرسنن ہو گئے ہیں - آپ آگے پڑھئے -

شری اشفاق حسین : پرسنن ہو گئے ہیں لیکن انہوں نے جواب کوئی نہیں دیا یدی اتنے سے ہی ان کو پرسنتا ہے تو میں کیا کہوں - جواب نہ دینے سے سلسد سدسیوں کو سودھا نہیں مل سکتی ہے- ان کو کچھہ تو کہنا چاہئے -

شری ملک ارجن : بات ایسی ہے ....

شری راجندر پرشاد یادو : آپ پہلے ان کی بات سن لیجئے پھر جواب دیجئے -

سبھاپتی مہودے : آپ پہلے اپ سب سمجھاو رکھئے اس کے بعد وہ جواب دیں گے - کیونکہ ابھی اس پر بولنے والے بہت سے سدس باقی ہیں - اس لئے آپ اس بات پر ہی نظر رکھئے یدی اس طرح سے سوال جواب چلے گا تو چل نہیں پائے گا -

ہیں جن میں ٹھہرنے کی سودھائیں ہیں ریل کے چھوٹے بڑے سبھی ادھیکاری جب انکا استعمال کرتے ہیں تو ان سے یا تو کوئی کرایہ نہیں لیا جاتا یا لیا جاتا ہے تو بہت معمولی کرایہ لیا جاتا ہے - ملک ارجن صاحب کی طرف سے جواب ملا کہ سلسد سدسوں کو وہ سودھا نہیں دی جا سکتی -

شری قی- پی- یادو : کیوں بھائی-

شری جھار کھنڈے رائے (کھوسی) : وہ جواب تو کسی اور نے ان کو بتاکر دیا ہے -

شریمتی رام دلاری سنہا : یہ رتن تھا یا اورل تھا -

شری اشفاق حسین : رتن تھا - میں تو یہ کہتا ہوں کہ ملک ارجن صاحب اگر سب باتیں مان جائیں تو یہ سب سننے کا موقع نہیں ملے گا -

سبھا پتی مہودے : سبھا پتی کے مادھیم سے کہئے تو مان جائیں گے -

<u>شری اشفاق حسین</u> : میں یہی عرض کرنا چاہتا ہوں کہ جہاں تنخواہ بڑھانے کی بات ڈاکٹر جی کے بل میں آئی ہے - میں اس سے سہمت نہیں ہوں لیکن جہاں تک سودھا بڑھانے کی بات ہے - میں اس کو زیادہ آوشیک سمجھتا ہوں تنخواہ سے میرا مطلب ہے پانچ سو روپئے ماہوار سے ہے - جس کے بڑھانے کے میں حق میں نہیں ہوں - لیکن جو ہم کو ڈیلی الاونس ملتا ہے اس کو بڑھانے کے لئے میں پوری طرح سے سہمت ہوں ان کا جو سجھاؤ ہے ۶۵ روپئے روز کا وہ تو بہت کم ہے ....

<u>شری مول چند ڈاگا</u> : ۱۰۱ روپئے کر دیا ہے -

<u>شری اشفاق حسین</u> : میں آپ سے یہی پرارتھنا کروں گا یدی آپ اس کو ویوہارک روپ سے دیکھیں تو جب یہ بل پہلے آیا تھا تو جب یہ ایکٹ کی شکل میں پاس ہوا تھا وہ کونسا زمانہ تھا کس زمانے میں آپ نے ۵۱ روپئے روز شروع کئے تھے - اور آج اس ۵۱ روپئے کی کتنی ویلیو ہے - کتنا انفلیشن آج بڑھ گیا ہے - آج دوسرے کرمچاریوں کا کتنا ڈیئرنیس الاونس بڑھ گیا ہے - میں اس کا مقابلہ نہیں کرتا میں یہ نہیں کہتا کہ مزدوروں کو کیوں دیا گیا - وہ ان کا حق ہے وہ اس کو ضرور مانگیں گے اور ان کو وہ ملنا بھی چاہئے - ہم ان کے لئے لڑیں گے - لیکن آپ سدن میں ایسا ماحول نہ پیدا کریں - کہ ہم لوگ بھی ٹریڈ یونین بنا کر لڑائی چھیڑ دیں - یہ ٹریڈ یونین کا سوال نہیں ہے یہ سودھائیں دینے کا سوال ہے - آپ دیکھئے اس دیش میں پانچ چھ ودھان سبھائی چھیتروں کو ملا کر ایک پارلیمنٹ کا چھیتر بنتا ہے - ودھان سبھا اور ودھان پریشدوں کے ممبروں کو آپ کتنی سودھائیں دیتے ہیں اس روشنی میں آپ دیکھیں.

....

<u>شری راجندر پرشاد یادو</u> : سانسد اسمبلی چھیتروں کے مقابلے ایک پارلیمنٹری چھیتر ہوتا ہے -

شری اشفاق حسین : سبھاپتی

اسمبلی چھیتروں کے مقابلے ایک پارلیامینٹری چھیتر ہوتا ہے لیکن آپ پارلیامینٹ کے ممبر کو ایم۔ ایل۔ اے۔ کے مقابلے کتنی سودھا دیتے ہیں اس روشنی میں دیکھیں -

میں ودیشوں کا مقابلہ نہیں کرنا چاہتا کیونکہ ودیشوں میں جو حالت ہے وہ ہمارے دیش میں نہیں ہے - لیکن اس بات کا مقابلہ ضرور کرنا چاہتا ہوں - کتنی جن سنکھیا کا پرتی ندھتو وہاں کی پارلیامینٹ کا ممبر کرتا ہے اور کتنی جن سنکھیا کا پرتی ندھتو ہم کرتے ہیں - کتنے چھیتر کا پرتی ندھتو وہاں کی پارلیامینٹ کا ممبر کرتا ہے اور کتنے چھیتر کا پرتی ندھتو ہم یہاں ہندوستان کے پارلیامینٹ کے ممبر کرتے ہیں - اس کے مقابلے کی بات میں اس لئے کر رہا ہوں کیونکہ اس کی آوشیکتا ہے - اس کے بارے میں سبھی لوگوں نے کہا ہے اور یہ ایک بہت آوشیک مسئلہ ہے - چناؤ کے درمیان چاہے پارٹی کی طرف سے یا اپنی سورسز سے ایک آدمی کچھ جیپیں یا گاڑیاں اکٹھا کر لے لیکن اس کے بعد وہ اپنے چناؤ چھیتر میں نہیں جا پاتا - بعد میں ایک دن کے لئے اگر وہ کہیں جانا چاہے اپنے چھیتر کے کسی کونے میں جائے تو کم سے کم ۳۰۰-۴۰۰ روپئے اس کے خرچ ہو جاتے ہیں - بہت سے ایسے علاقے ہیں جہاں پر بغیر گاڑی یا جیپ کے آدمی پہنچ نہیں سکتا - اس لئے بہت زیادہ پیسا خرچ کرکے وہاں جانا ہوتا ہے - اس لئے میں یہ نویدن کرونگا کہ کم سے کم ہفتے میں ایک دن سانسد سدسیوں کو جیپ ملنی چاہئے -

شری آر۔ پی۔ یادو : ہفتہ میں ایک دن نہیں بلکہ ہمیشہ اس کے ڈسپوزل پر جیپ رہے -

شری اشفاق حسین : آپ اپنی بات کہہ چکے ہیں مجھے اب اپنی بات کہنے دیجئے - میں ہفتہ میں ایک دن کی بات کہہ رہا ہوں - کم سے کم ہفتہ میں ایک دن سواری کی سودھا ایک ایم۔ پی۔ کو اس کی کانسٹی چیوینسی میں گھومنے کے لئے دینی چاہئے - اگر ہفتے میں ایک دن وہ اپنی کانسٹی چیوینسی میں بھرمن کر لے گا اور

اور ہمارے پاس جتنے کاغذات آتے رہتے ہیں جتنی جتنی چٹھیاں آتی رہتی ہیں ان سب کا جواب دینا آوشیک ہے اگر ایک کنفیوژن تیار کرنا ہے تو اس کے لئے بھی سودھا چاہئے اور اگر ہاوس میں کوئی تقریر کرنی ہے کوئی بیان دینا ہے تو اس کے لئے ایسی سودھائیں چاہئیں جن سے ہم اپنا کام آسانی سے کر سکیں - میں یہ نویدن کرونگا کہ سدن کی بھاونا سے آپ اچھی طرح سے اوگت ہیں سدن کے سدسیوں کی آوشیکتاؤں سے بھی اچھی طرح سے واقف ہیں - کیا ان کی سودھاؤں میں کمی ہے اور کیا ان کی آوشیکتائیں ہیں یہ آپ اچھی طرح سے جانتے ہیں - بھوائے اس کے کہ میں ساری باتیں آپ کے سامنے رکھوں میں اپنی بات اسی پر سماپت کرتا ہوں کہ آپ سوئم منتری جی کو نردیش دیں کہ وہ سدن کی بھاوناؤں کو دیکھتے ہوئے اگلے ستر میں کوئی ایسا بل لائیں جس سے سارے سدن کی بھاوناؤں کی پورتی ہو -

اتنا نویدن کر کے میں سماپت کرتا ہوں -

[شری اشفاق حسین]

لوگوں سے سمپرک کرے گا .... (انٹرپشن) .... ہفتہ میں ایک دن کا مطلب ہے مہینے میں چار دن - اس لئے میں نے سب سے پہلے کہا تھا کہ اور باتیں ہم سے مت کہلوائیے اور آپ خود ہی اس بات کو مان لیجئے تاکہ ہمارے کہنے کی آوشیکتا نہ رہ جائے - ہفتہ میں ایک دن جیپ کی سودھا اپ چھیتر میں بھرمن کے لئے اپ چھیتر میں لوگوں سے سمپرک کے لئے آوشیک ہے - اپنے کھرچے لئے بڑھانے کے لئے کوئی سودھا نہیں مانگ رہے ہیں - ہم دیش کی جنتا کے نمائندے ہیں اور ان کی نمائندگی کرنا ہمارا کرتویہ ہے اور اُن کی نمائندگی ہم یہاں کرتے ہیں - اُن سے ہمارا سمپرک قائم رہے اور ان کی باتوں کو ہم آسانی سے آپ کے سامنے رکھ سکیں یہ ہم جانتے ہیں -

ابھی ہمارے سہیوگی متر یادو جی نے بہت صاف صاف فائو ایئر پلان کی گوتمشی سے یہ ثابت کیا کہ ہماری کیا ذمہ داریاں ہیں - ذمہ داریاں ہماری بہت سی ہیں

SHRI MANORANJAN BHAKTA (Andaman and Nicobar Islands): Mr. Chairman, Sir, I am really indebted to Shri Mool Chand Daga, a senior Member of this House who has piloted this Bill.

It is not a question of only enhancement of benefits to the Members of Parliament. It is a question that after 34 years of our independence during which period we followed the practice of parliamentary democracy, we must evaluate the working of the Members of Parliament and also the Council of Ministers who are accountable to the people of this nation. The point is this. One should not understand and take it in this way that we are only speaking to get some enhancement in our daily allowance or salary or other benefits. The point is that we have certain responsibilities and duties towards the people of this country; we are committed to the people we have got certain responsibilities to represent them properly in this august House. The common people, the masses who are living to villages, in high mountains and in islands will not understand the difficulties that Members of Parliament are facing here, they only want results, they want that we should ventilate their grievances properly in this august House. That is why, this is really one of the unique opportunities that Mr. Daga, a very senior Member of this House has given to us to put forward our thoughts and the thinking of the people of this country. One important point to be mentioned here is this. After election as Member of Parliament, whether he remains a Member of Parliament or becomes a member of the Council of Ministers, he cannot become a robot which is something mechanical and very powerful. Every human-being has got his own limitations; he has got certain requirements; and until and unless those requirements are met, it is not possible for him to deliver the goods, to achieve the desired goal. The point is this. Let us take it one by one. After our independence, in the benefits and salaries that have been sanctioned, there has been a certain improvement I must agree. But let us take the conditions in respect of a Minister. Of course, the Ministers' Salaries and Allowances Act is different. But both these are inter-related. Mr. Yadav made a very eloquent speech; it was very touchy; what he has mentioned about Mr. Kartik Oraon is very correct today. That is why I say that both these Acts are inter-related. You understand this Sir; you have held very high offices in your State and you have been a Member of Parliament. In 1952, salaries, allowances and other benefits were fixed for a Minister. Now we are in 1981. Even today the same salary, allowances and other benefits are continuing, without any revision. So many years have passed; a lot of changes have taken place. But here the position is the same. The Indian Constitution cannot provide or create robots. If we really want that Members and Ministers should be above corruption, if we really want that they should be dutiful to their electors and the countrymen, then it is necessary that we must ensure that they get adequate salary and other benefits, that there is improvement in their working conditions. At the same time we should tighten if anybody does anything wrong; the punishment should be severe....

MR. CHAIRMAN: Excuse me for one small remark. Equipped with character and integrity one may take the corrupt elements to task.

SHRI MANORANJAN BHAKTA: I am thankful to you for your kind advice, Sir. What I was trying to say was this. I have one bitter experience. There is one public school called the Salwan Public School. One gentleman from my constituency is now posted at Delhi. His son is studying in the Salwan School. One

[Shri Monoranjan Bhakta]

day I want to his house for dinner. That boy is studying in class X or XI. He has Social Studies also as one of the subjects. He sat with me and he told me, 'I want to know something about the Members of Parliament and Parliament. What are the benefits the Ministers or the Members of Parliament are getting?' Whatever I know, I explained to him. He said, 'Our teacher explained to us that Members of Parliament are given Rs. 10,000. Then they get so many benefits like free house, free electricity and free water, free telephone.' Sir, like this a wrong impression is prevailing in the country. People do not know actually what benefits the Ministers or the Members of Parliament are getting. As a result of that some interested people have tried to slander the Members of Parliament in the eves of the people and the Ministers in the eyes of the people. That is why even in the educational institutions where our young men are supposed to know the correct position this campaign is going on....

MR. CHAIRMAN: Perhaps I could not make my view clear in my last observation. When you said that wherever there is corruption, the Members of Parliament should take the persons to task. I observe that this could be done mainly through their own character and integrity.

SHRI MANORANJAN BHAKTA: I agreed with your suggestion. We must search our hearts.

MR. CHAIRMAN: Whosoever the teacher may be, I think he has to become a student now. He has had his days.

SHRI MANORANJAN BHAKTA: You have taken it in a light manner.

MR. CHAIRMAN: It is a serious thing He has to learn and unlearn.

SHRI MANORANJAN BHAKTA: Particularly this discussion gave us ample scope by which at least throughout the country people will be knowing as to what it is, what the members are getting and what the Ministers are getting. So at least it will be some sort of countering the slanderous propaganda going on in different places.

Again to come to another point, the other day I was listening to our friend, Mr. Sudhir Giri from the other side. He was telling that he is opposed to this Bill. I was very curiously listening to his speech. What I could gather is that in West Bengal Assembly after the present Government has come, they have given a lot of benefits to their Members in the Assembly. Even when Members of Parliament travel by First Class and their companion is travelling in Second Class, in West Bengal—I must say they are right—their companion is travelling in the First Class and in the same compartment.

MR. CHAIRMAN: A real companion.

SHRI MANORANJAN BHAKTA: That is his choice. Then the argument he put forth was that the country's economic condition is bad and at this juncture of the economic situation prevailing it is not wise to go in for an increase and that is why he is opposed to the Bill. I agree with his version and if he really agrees that the state of affairs is quite bad, then does he agree and let us all agree that there should be no increase in pay and wages for the next five years till the economic situation improves. Now, as far as we, Members of Parliament, are concerned, we will definitely agree to that. If they agree on that side, then we have no objection. But, every day they come forward with a suggestion for increased salary or wages. They find that only for 750 Members of Parliament this will be a very big thing and the country's economy will be affected. It is of course in the wisdom of the Members to criticise. Shri Shastri Ji was very honest. He opposed the increase in

salary and everything. But, at the same time, he also wanted to have all the benefits such as secretarial assistance, postal facility etc., etc. I do not thing there is much of a difference. I do not know why Shri Shastri opposed this particular Bill.

My other point is this. As was rightly observed by Shri R. P. Yadav who represents the area if we were to go on a visit in connection with certain incidents of a grave nature, we are not being provided with any facility by Government. Whenever any idea is floated before the Government, they say 'No, you are attracted by the Office of Profit'. Even if we go by a Government vehicle during elections, they say the election will be challenged. Like that what I meant to say is that there are many cases. Take for instance Nagaland assembly. There they are given jeeps. The members of the Assembly are provided with the jeeps as also drivers.

MR. CHAIRMAN: Kindly wait for a moment. I would like to take the sense of this House. There are very many names of Members before me who want to express their views.

So, I would like to have the sense of the House whether this debate should conclude at 17.30, as was scheduled, or should be allowed to continue.

SHRI MOOL CHAND DAGA: Sir, it should continue. Many Members want to participate. There are still 20 members who want to speak on this Bill. Therefore, my submission is that the time for the discussion on this Bill should be extended by two hours.

MR. CHAIRMAN: Is it the sense of the House?

SHRI MUKUNDA MANDAL (Mathurapur): I have one submission to make. There is an important Bill 'Agricultural Workers' Welfare Fund Bill. Let this be introduced now. I want to move that Bill for introduction. We are interested in enhancement of our salaries. I am interested in the welfare of the agricultural workers.

SHRI CHITTA BASU (Basirhat): May I make a submission? The Bill to be taken up next refers to the wages of the agricultural workers. The Minister of Labour is sitting opposite. Will he kindly enlighten the House whether Government has also made certain commitments that a Bill of that nature would be forthcoming before the House? A special Committee for that is functioning. Therefore, I say that this Bill is very important.

MR. CHAIRMAN: Excuse me. Just now what the Chair is concerned with is whether the debate should conclude or should the time for this be extended.

SHRI CHITTA BASU: The Chairman seems to be not concerned with the fate of the other Bill.

SHRI SATYASADAN CHAKRABORTY (Calcutta South): Mr. Chairman, Sir, we are not opposed to this Bill. Let us continue the debate. Can we not introduce the next Bill?

MR. CHAIRMAN: Kindly listen to me. Let this issue be first decided. So far as this Bill is concerned, at the consideration stage, whether time should be extended or not.

SEVERAL HON. MEMBERS: Yes, Sir.

MR. CHAIRMAN: If so, by how much time?

AN HON. MEMBER: Till next time.

SHRI G. M. BANATWALLA (Ponnani): Let me move my motion: That the consideration of this Bill be

[Shri G. M. Banatwalla]

adjourned till the first available date in the next session.

Then, allow this Member to proceed with his Bill. (*Interruptions*). Let the consideration of the Bill be adjourned till the first available day in the next session. Allow the Member to proceed with the Bill.

SHRI MOOL CHAND DAGA: Time should be extended for 2 hours more. There are 13 more members who want to participate in this discussion.....

AN HON. MEMBER: What is meant by 'first available day'?

(*Interruptions*)

SHRI G. M. BANATWALLA: My motion is this:..

SHRI MOOL CHAND DAGA: It concerns the whole Parliament.

SHRI G. M. BANATWALLA: I have said already. It should be adjourned till the first available day in the next session.

SHRI MOOL CHAND DAGA: It is continuing.

SHRI G. M. BANATWALLA: Let it go to the first available day in the next session.

(*Interruptions*)

SHRI MUKUNDA MANDAL: I beg to move that the Bill to provide for promotion of welfare measures for agricultural workers be taken into consideration. Sir ..

(*Interruptions*)

AN HON. MEMBER: That cannot come now.

SHRI G. M. BANATWALLA: I have moved my motion, Sir.

MR. CHAIRMAN: One minute. Please wait. I am reading the rule.

SHRI MOOL CHAND DAGA: First, let me move my motion. I move my motion: I move: 'Let the time be extended'.

SHRI G. M. BANATWALLA: Please give your ruling, Sir.

(*Interruptions*)

SHRI RAM SINGH YADAV (Alwar): I rise on a point of order. Closure Motion cannot be adopted without taking the sense of the House.

(*Interruptions*)

SHRI G. M. BANATWALLA: Sir, there is a precedent for this: Let me state this. When my own Bill on the Aligarh Muslim University was under discussion, a Motion of this type, had come. The consideration of that Bill was postponed to the next session. And it was the first item to be taken up in the next session. In the meantime, the next Bill can come up, and get the protection. What is the difficulty?

MR. CHAIRMAN: Excuse me. I will read out the rule: I will read out only the relevant portion. This is Rule 30, sub-clause (1):

> "When on a motion being carried, the debate on a private member's Bill or Resolution is adjourned to the next day allotted for private members' business in the same or next session, it shall not be set down for further discussion unless it has gained priority at the ballot."

So, that is the rule.

SHRI MALLIKARJUN: Now, the Bill is at the stage of consideration. Now, the most important point is this: We have to take the sense of the House. What exactly do we want to do? Now it is about 5-30. So kindly take the sense of the House. If it is for extension, it will be extended.

SHRI MUKUNDA MANDAL: Are you more concerned with the interests of Members of Parliament, than, with the interests of the agricultural workers? (*Interruptions*)

SHRI G. M. BANATWALLA: Otherwise you will have to extend the time of the proceedings.

MR. CHAIRMAN: I shall now put to vote the Motion moved by Shri Mool Chand Daga.

The question is:

"That the time allotted for the Bill be extended by two more hours."

Those in favour will please say 'Aye'.

SOME HON. MEMBERS: 'Aye'

MR. CHAIRMAN: Those against will please say 'No'.

SOME HON. MEMBERS: No.

MR. CHAIRMAN: I think the 'Ayes' have it.

SOME HON. MEMBERS: No, the Noes have it.

MR. CHAIRMAN: Then let the lobbies be cleared. The lobbies have been cleared. A motion has been moved by Shri Daga that the time allotted for his Bill should be extended by two hours. The question is:

"That the time allotted for the Bill be extended by two more hours."

The Motion was adopted.

MR. CHAIRMAN: Now let us take up the Half-an-Hour Discussion. Mr. Nanje Gowda. (*Interruptions*)

SHRI SAMAR MUKHERJEE (Howrah): In future also, similar things may happen. There is a precedent. A motion may be moved that the rules be suspended. It has been done earlier. We could have adopted that method now.

MR. CHAIRMAN: Neither was a Motion moved, nor was the matter brought to me to say that the rules can be suspended.

THE MINISTER OF LAW, JUSTICE AND COMPANY AFFAIRS (SHRI P. SHIV SHANKAR): He could have done it.

SHRI SAMAR MUKHERJEE: Because you are not willing to adopt that method this time, we are not insisting on it. But for future, it can be done.

MR. CHAIRMAN: For suspending the rules, my information is that the Speaker's consent is necessary.

SHRI SAMAR MUKHERJEE: What is there in giving the consent?

MR. CHAIRMAN: It was neither sought, nor given.

SHRI SAMAR MUKHERJEE: It is a fact that one Bill was kept pending for discussion, and the Motion was moved. Now I am told that somebody moved a Motion for suspending the rules.

MR. CHAIRMAN: No such Motion was moved.

SHRI CHITTA BASU (Basirhat): I move that the rules be suspended.

SHRI P. SHIV SHANKAR: The Speaker should give you permission.

MR. CHAIRMAN: I could not anticipate it.

SHRI SAMAR MUKHERJEE: That is why I say—not for this occasion. For future, this must be noted. Similar occasions arise again and again.

MR. CHAIRMAN: All these aspects may be studies, gone into, and every one will be wiser.

SHRI SAMAR MUKHERJEE: That is why I say this should be noted for the future.

MR. CHAIRMAN: Now Shri Nanje Gowda.